शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्या–1065 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊः दिनॉकः 20 अप्रैल, 2021

विषय– उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समान पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप पुनर्संयोजित करने के लिये शासनादेश संख्या 5240 / सत्तर–3–2020 दिनॉक 26–10–2020 द्वारा राज्य स्तरीय समिति तथा संकायवार सुपरवाइजरी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही विषयवार विशेषज्ञ समूहों का भी गठन किया गया। पाठ्यकमों को पुनर्संयोजित करने के लिये लगभग 150 विषय विशेषज्ञों के द्वारा राज्य स्तरीय समिति एवं राज्य संकायवार सुपरवाइजरी समितियों के साथ 200 से अधिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से चर्चा कर तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को प्रदेश में स्टेकहोल्डरर्स से सुझाव प्राप्त करने के लिये राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया ।

तद्क्रम में कुल 416 फीडबैक प्राप्त हुए, जिसमें से 27 प्रतिशत फीड बैक को विषय विशेषज्ञों द्वारा समिति में चर्चा करने के पश्चात आवश्यकतानुसार पाठयक्रमों में सम्मलित किया गया । फीडबैक के अनुसार संशोधन करने के पश्चात प्रथम फेज में स्नातक कला एवं मानविकी (16 विषय), भाषा (4 विषय), विज्ञान (9 विषय), बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0आई0एस0 तथा अनिवार्य को–करीकुलर (6 विषय) के निम्नलिखित विषयों के न्यूनतम समान पाठयक्रम वेबसाईट (http://uphed.gov.in/page/council /en/nep-2020) पर अपलोड कर दिये गये हैं तथा शेष विषयों तथा स्नातकोत्तर के अंतिम रुप से तैयार पाठयक्रम भी वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे ।

कला एवं मानविकी विषय	विज्ञान विषय	भाषा विषय	अनिवार्य को–करीकुलर विषय	अन्य संकाय
एंथ्रोपोलोजी	कृषि	संस्कृत	खाद्य, पोषण एंव स्वच्छता	बी0कॉम
रक्षा एवं संराचनात्मक अध्ययन	वनस्पति विज्ञान	हिन्दी	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	बी0एड0
अर्थशास्त्र	रसायन शास्त्र	अंग्रेजी	शारीरिक शिक्षा एवं योग	बी0बी0ए0
शिक्षाशास्त्र	कम्प्यूटर विज्ञान	उर्दू	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन	बी0एल0आई0एस0
ललित कला	भूगर्भ शास्त्र		विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनैस	
भूगोल	गणित		संचार कौशल एवं व्यक्तितव विकास	

इतिहास (प्राचीन)	भौतिक विज्ञान			
इतिहास(आधुनिक)	सांख्यिकी			
गृह विज्ञान	जन्तु विज्ञान			
विधि				
दर्शनशास्त्र				
शारीरिक शिक्षा				
राजनीति शास्त्र				
मनोविज्ञान				
समाजशास्त्र				
समाजिक कार्य				

3– शासनादेश संख्या–438/सत्तर–3–2021(16)26/2011 दिनॉक 08–02–2021 के द्वारा पूर्व में नये पाठयक्रम की विशेषतायें, संरचना का आधार, सी0बी0सी0एस0, क्रेडिट, क्रेडिट स्थानंतरण, अनिवार्य को–करीकुलर एंव विषय चुनाव एंव उन्हें लागू करने के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4– अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठयक्रम को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.05.2021 तक विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देशों/प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के पाठयक्रमों में आवश्यक संशोधन कर उसे शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू करने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें, जिससे शैक्षिक सत्र 2021–22 से प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन किया जा सके:–

- न्यूनतम समान पाठयक्रम का 70 प्रतिशत पाठयक्रम प्रत्येक विश्वविद्यालय में लागू होगा, शेष 30 प्रतिशत पाठ्क्रम विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं के अनुरुप लागू कर सकेंगे । न्यूनतम समान पाठयक्रम की संरचना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा ।
- प्रत्येक विषय के पेपर के शीर्षक सभी विश्वविद्यालयों में समान होंगे जिससे भविष्य में आसानी से प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के क्रेडिट स्थानांतरित हो सकें।
- विश्वविद्यालयों की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा स्वीकृत पाठयक्रम की प्रति उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।
- उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर शेष पाठयक्रम भी समय–समय पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिनको भी उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज के द्वारा अधिकतम 30 प्रतिशत तक आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन के पश्चात अनुमोदन कर परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा ।

विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया–

- सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (Science/Arts/ Commerce/ Management etc) का चुनाव करेगा ।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीट एवं नियमों के आधार पर विद्यार्थी को संबधित संकाय में प्रवेश देगा ।
- तत्पश्चात विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Major) का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है ।
- इसके बाद विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु एक माइनर विषय किसी दूसरे संकाय से लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार परक पाठयक्रम लेना होगा।

किसी भी पाठयक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया–

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास (Exit) तथा दो वर्ष (चार सैमस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी ।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी ।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा ।
- Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी ।

डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि–

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तद्नुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी ।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें–

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट आनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड सकेंगे । यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार आनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे ।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।
- यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी । अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।
- विद्यार्थी को कोर्स आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स का अध्ययन कर सकेंगे।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा । एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा ।

परीक्षा व्यवस्था –

- सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एंव फार्मूला के अनुसार परसेंन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा ।
- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी ।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय (MCQ) आधार पर होगी ।

5– अग्रेतर यह अवगत कराना है कि उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी।

6– स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के 46 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो

सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र (Certificate) प्रदान किया जा सकता है।

द्वितीय वर्ष के 92 क्रेडिट होंगे, जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) प्रदान किया जा सकता है।

तृतीय वर्ष के 138 क्रेडिट होंगे जिसमें दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम/एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) प्रदान की जायेगी।

चौथे वर्ष के 194 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree with Research) प्रदान की जायेगी।

पांचवें वर्ष के 246 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री (Master's Degree) प्रदान की जायेगी।

छठे वर्ष के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research (PGDR) प्रदान किया जा सकता है।

सातवें और आठवें वर्ष में अनुसंधान पद्धति तथा प्रमुख विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त पी–एच0डी0 (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

7– प्रत्येक विषय के प्रमुख कोर पाठ्यक्रमों के लिए सामान्यतः न्यूनतम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम उपरोक्तानुसार लागू किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रत्येक सेमेस्टर के समान पेपर शीर्षक होंगे। यूनिफॉर्म क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8– पहले दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020, दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है।

9– अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर समयबद्ध रूप से कार्य करते हुए 30 जून, 2021 तक इन्हें पूर्ण कर लिया जाये, साथ ही एम0एस0एम0ई0, आई0टी0आई0 और पॉलीटेक्निक के साथ एम0ओ0यू0 किये जाये ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी योजना तैयार कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

20/4

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1065 (1)/सत्तर–3–2021–तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Online Open Competitions

on

COVID-19: Economical, Political, Natural Resources, Scientific, Academic, Social, Legal & Environmental Threats and Opportunities

18 -30, April 2020

Organised by

Internal Quality Assurance Cell

J V Jain College Saharanpur

(A NAAC Accredited Minority Educational Institution and a College with Potential of Excellence)

Organisers

Dr. Praveen Kumar
Coordinator -IQAC

Prof. Vakul Bansal
Principal

Address: J. V. Jain College, Saharanpur-247001 UP

Email-ID: covid19jvjc@gmail.com Mob. No- 8899588585.

Patron
Sh. Mohit Jain

Chairman
Prof. Vakul Bansal

Convener
Dr. Vinod Kumar

Organising Secretary
Dr. Praveen Kumar

Joint Organising Secretary
Dr. Mahesh Kumar

Coordinators

Dr. Vandana Ruhela
Dr. Mamta Singhal
Dr. Jyoti Singh
Dr. Poonam Sharma
Dr. Harvir Singh Chaudhary
Dr. Y P S Topal
Dr. Rajkumar
Dr. Rakesh Chandra

Advisory Committee

Dr. Rajendra Kumar
Dr. Poonam Khare
Dr. Manisha Saini
Dr. Manu Gupta
Dr. H. O. Gupta
Dr. Anuja Agarwal
Dr. Shubhra Chaturvedi
Dr. Lokesh Kumar

Objectives of the Open Competitions

It is a multi-objective Open Competitions, the first one is to make an awareness about the threating situation due to the effect of COVID-19 pandemic as well as to contribute to our nation building in the present economic emergency of our country.

Themes: Painting, poem, Essay writing on the following themes in both the Languages Hindi or English.

Economic Impact of Covid19

Representation of Covd-19 in painting

Scientific Threats of Covid19, Security Impact of Covid-19

International Political & International Relation on Covid-19

Impact on Environment by Covid19 epidemic

Pandemic Impact on Education & Academic Opportunities & Threats

Human Health, Social & Legal threats in Covid-19, Change in Individual Behavior

Note: Topics are suggestive and not exhaustive

Participants Categories

Student age Group: 5 -10 Yrs

Student Age Group: 11-15 Yrs

Student age Group: 16-21 Yrs

Student age Group: Above 21 Yrs

Teachers

Professionals

Registration Process

This online Open Competition is being organized for a noble cause. The registration fee for the following categories is as follows:

Student age Group: 5 to 10 Yr	Rs. 100
Student age Group: 10 to 15 Yrs	Rs. 100
Student age Group: 15 to 21 Yrs	Rs. 250
Student age Group: Above 21Yrs	Rs. 500
Teachers/Professionals	Rs. 600

The fee will be deposited directly in the following PM Cares fund account.

Account Name: **PM CARES** ACC. No.: **2121PM20202** IFSC Code: **SBIN0000691**

Bank Name: **SBI Main Branch New Delhi** UPI ID: **pmcares@sbi**

After deposition of registration fee, the screenshot of amount deposited in the PM cares fund will be forwarded to us, which will make the candidate eligible for participation in the open Competition.

Registration can be done through the online Registration link https://forms.gle/XQ31Nz8BFrHexkvD9 All the Self written Article/own work will be submitted online on the Mail ID: covid19jvjc@gmail.com in form MS-Word format 12 Font Times New Roman Or Kurti-10, between 1500 to 2500 words or Good Quality Photo of own painting. Hard Copy Will be Submitted After Lockdown before Award Function to be held in the college, whose date will be announced later.

IMPORTANT DATES

Online Registration	**Between 18-30, April 2020**
Fee Submission on PM Cares Fund	**Between 18-30, April 2020**
Online Work Submission	**Between 18-30, April 2020**

Declaration of Results: Three prizes (I, II & III) from each theme (Painting, Poem & Essay writing) and each Category wise will be awarded. The declaration of results will be made after Lock down.

Certificate of participation will be given to every participant of the Competition.

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध / अनुस्मारक
संख्या – 2153 / सत्तर–3–2020–08(35) / 2020

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2020**

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–1708 / सत्तर–3–2020–08(35) / 2020, दिनांक 22.08.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय के विद्या परिषद / कार्य परिषद से पारित कराते हुए एवं इस पर व्यापक चर्चा परिचर्चा / वर्कशॉप आदि का आयोजन करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, जोकि शासन को अद्यतन अप्राप्त है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय के विद्या परिषद / कार्य परिषद से पारित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– अग्रेतर अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 पर यापक चर्चा परिचर्चा / वर्कशॉप आदि का आयोजन करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Nikhil G.O.

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–5169/सत्तर–3–2020–08(35)/2020

प्रेषक,

हरेन्द्र कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर, 2020**

विषयः–नई शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में फीड बैक/सजेशन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रो0 रजनीश जैन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15.10.2020 की छायप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई शिक्षा नीति–2020 से सम्बन्धित लिंक पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 पर विचार–विमर्श किया जाना ऑनलाईन है तथा इस सम्बन्ध में फीड बैक/सुझाव तत्सम्बन्धी लिंक पर उपलब्ध कराये जाने की अन्तिम तिथि 31.10.2020 तक बढ़ा दी गयी है।

2– अस्तु अनुरोध है कि संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशानुरूप कृपया सभी सम्बन्धितों (फैक्ल्टीज़ एवं अन्य) को नई शिक्षा नीति–2020 से सम्बन्धित लिंक पर तद्नुरूप अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

Aneeta Rai G.O. PC-1

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph :. 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

D. O. No. 14-3/2019 (CPP-II) **15th October, 2020**

Respected Madam/Sir,

Kindly refer to my earlier letter of 1st October, 2020 regarding consultation process for implementation of National Education Policy, 2020 requesting you to give wide publicity amongst the stakeholders for sending their feedback/suggestions in this regard.

I would like to inform you that the discussion on outline of the implementation Plan on NEP, 2020 is live on MyGov Portal at link: https://innovateindia.mygov.in/nep2020-citizen/ and the last date to submit feedback currently till 18.10.2020, has been **extended till 31.10.2020.**

You are requested to kindly give wide publicity amongst the faculty and other stakeholders in your university for sending their feedback suggestions on MyGov portal. Two banners in this regard, which may be utilized for publicity on Website of Universities/Institutions by linking it to above link are also enclosed.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Rajnish Jain)

Encl : As above

To

The Vice Chancellors of all Universities

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या—: 5301 / सत्तर—3—2020—08(35) / 2020

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुल सचिव
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग—3 **लखनऊ : दिनांक 29 अक्टूबर, 2020**

विषयः— राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0—1708 / सत्तर—3—2020—08(35) / 2020, दिनांक 22.08.2020 तथा अनुस्मारक पत्र सं0—2153 / सत्तर—3—2020—08(35) / 2020, दिनांक 11.09.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के विद्या परिषद / कार्य परिषद से प्रस्ताव पारित कराते हुए एवं इस पर व्यापक चर्चा परिचर्चा / वर्कशॉप आदि का आयोजन करते हुए प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय के सुझाव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये थे, जोकि शासन को अद्यतन अप्राप्त है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के क्रियान्वयन हेतु उक्तानुसार विश्वविद्यालय की रिर्पोट शासन को दिनांक 08.11.2020 तक प्रत्येक दशा में उपलबध कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या— (1) / सत्तर—3—2020—तद्‌दिनॉकः

प्रतिलिपि कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

Nikhil G.O.

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–: 5428/सत्तर–3–2020–07(35)/2020

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 **निदेशक**
उच्च शिक्षा
उ0प्र0, प्रयागराज।

2 **कुल सचिव**
समस्त राज्य निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 18 नवम्बर, 2020**

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कियान्वयन हेतु राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा कार्य योजना तैयार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–5300/सत्तर–3–2020–07(35)/2020, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–5300/सत्तर–3–2020–08(35)/2020 दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए उल्लेख करना है कि विश्वविद्यालय एवं सम्बद्व महाविद्यालयायों के सभी शिक्षकों को सामयिक विषयों पर अपने संसाधनों से ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु उक्त के अनुकम में 13 विश्वविद्यालयों द्वारा ही प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की अपनी कार्ययोजना शासन को उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी सूची संलग्न है।

3– इस सम्बन्ध में अग्रेतर यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षको को प्रशिक्षण प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 पर कियान्वयन किया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करके प्रशिक्षण कार्यकम में मेंटरिंग और कैरियर काउंसलिंग, नैतिक परक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा पोषण, भारतीय मूल्यों एवं परम्पराओं की जानकारी, डिजिटल जागरूकता, कौशल विकास एवं संस्थागत विकास योजना को शामिल करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।

4– अतः इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शासन द्वारा तैयार किया गया प्रस्तुतीकरण एवं टास्क फोर्स की तीन बैठको का कार्यवृत्त संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या– 5428 (1)/सत्तर–3–2020–तद्दिनॉक:

प्रतिलिपि कुलपति, समस्त राज्य निजी विश्वविद्यालय उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

Aneeta Rai G.O. PC-1

दिनांक 27.08.2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक/व्यावसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग को सम्मिलित करते हुए डॉ0 दिनेश शर्मा, मा0 उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एवं डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग की सह–अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की प्रथम बैठक दिनांक 27.08.2020 को सचिवालय स्थित मुख्य भवन, सभाकक्ष संख्या–80 में सम्पन्न हुई। बैठक में टास्क फोर्स के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. प्रो0 गिरीश चन्द्र त्रिपाठी, अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद।
2. श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सुश्री एस0 राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग।
4. श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्रीमती आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
6. श्री अशोक गांगुली, पूर्व अध्यक्ष केन्दीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
7. डॉ0 विनय पाठक, कुलपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. श्री वाचस्पति मिश्र, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, संस्कृत संस्थान, उ0प्र0।
9. डॉ0 निशी पाण्डेय, अंग्रेजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10. डॉ0 अब्बास नैयर, उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
11. श्री विजय किरन आनन्द, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
12. प्रो0 सदानन्द प्रसाद गुप्त, कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

जूम ऐप के माध्यम से निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री वी0पी0 खण्डेलवाल, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक।
2. श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक।
3. प्रो0 अरविन्द मोहन, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के टास्क फोर्स की प्रथम परिचयात्मक बैठक का प्रारम्भ डॉ0 दिनेश शर्मा, मा0 उप मुख्यमंत्री के उद्‌बोधन के साथ प्रारम्भ हुआ उनके द्वारा अवगत कराया गया कि देश को 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया कदम है। यह भारत की शिक्षा प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करेगी अब यह शिक्षा नीति मंत्रिपरिषद द्वारा पारित कर दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत भारत के विश्वविद्यालय विदेशों में अपने कैंपस खोल सकते हैं तथा विदेशों के विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोल सकते हैं अथवा मिलकर कार्य कर सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 सभी श्रेणी एवं वर्गों के छात्र छात्राओं को समानता पूर्वक गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में स्कूली शिक्षा ही गुणवत्ता परक विश्वव्यापी उच्च शिक्षा का आधार होगी। नई शिक्षा नीति में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा प्रथम दिन से ही रोजगार युक्त शिक्षा की बात है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि छात्र रोजगार प्राप्त कर सकें।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 एवं 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का प्रयास किया गया था परन्तु 34 वर्षों के उपरान्त नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया, जिससे लार्ड मैकाले की शिक्षानीति का प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से निवेदन किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को क्रियान्वियत करते हुए विजन निर्धारित करते अपने–अपने विभागों में स्टेयरिंग कमेटी का गठन करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा टास्क फोर्स के सभी सदस्यों से उनके सुझाव प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया।

श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को क्रियान्वित करने हेतु प्राथमिक बिन्दुओं को चिन्हित करते हुए रणनीति एवं गाइडलाइन तैयार कर उसे निश्चित समयावधि से लागू किये जाने की आवश्यकता है। अवगत है कि विद्यालयों की शिक्षा हेतु ज्यादातर रणनीति राज्य स्तर पर विकसित गाइडलाइन पर आधारित है। अतः राज्य को प्राथमिक वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए आधारभूत साक्षरता को राज्य स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। शिक्षण अधिगम परिणाम को समृद्ध करने की आवश्यकता है। राज्य को केन्द्रीय विद्यालयों के अनुसार अपने विद्यालयों का निर्माण करना चाहिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गयाः–

1. बहुविषयक उन्मुख विश्वविद्यालय
2. शोध उन्मुख विश्वविद्यालय
3. शिक्षक उन्मुख विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालयों में नेतृत्व किस आधार पर निर्धारित किया जायेगा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे राज्यों की भाषाओं को शिक्षा में सम्मिलित किये जाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री अशोक गांगुली, पूर्व अध्यक्ष केन्दीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा के विषय पर चर्चा की। उन्होंने अवगत कराया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का फ्रेमवर्क माह फरवरी, मार्च 2021 में आना संभावित है। फ्रेमवर्क के उपरान्त ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को पूर्णतः लागू किया जा सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को लागू किये जाने के लिए राज्य को दो तरह की कार्ययोजना निर्मित करने की आवश्यकता हैः–

1. शार्ट टर्म प्लान (दो वर्ष हेतु)–

Short Term Plan के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को क्रियान्वित करने हेतु जिला स्तरीय विभाग, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक के समूहों को दो दिवसीय अभिविन्यास के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की विशेषता बताए। राज्य में लगभग 550 से ज्यादा पुराने विद्यालय हैं, जिन्हें चिन्हित कर उन्हें सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाय एवं उनका अभिविन्यास किया जाए।

2. लॉन्ग टर्म प्लान (सात वर्ष हेतु)–

अवगत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को कक्षा 9 से विषय के चुनाव का अधिकार प्रदान किया गया है। अतः राज्य को विद्यालयों को चिन्हित कर कक्षा 9 से किन–किन विषयों के संकाय सम्मिलित किये जाने है, उनका चुनाव किया जाना चाहिए। चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रधान राज्य है। अतः कक्षा–9 से कृषि विज्ञान को विषय के रूप में अनिवार्य रूप से पढाए जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन को समिश्रित करते हुए मासिक स्तर या साप्ताहिक स्तर पर शिक्षण कार्ययोजना निर्मित करनी होगी। जिसमें कुछ कक्षाएँ ऑफलाइन एवं कुछ ऑनलाइन पढायी जाए। कक्षा 9 से 12 तक प्राथमिक शिक्षा की भांति विज्ञान एवं गणित विषयों के लर्निंग फॉर फन आदि पैकेज की योजना तैयार करनी चाहिए, जिससे छात्रों की अभिरूचि बनी रहे।

समेकित परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परम्परागत परीक्षा प्रणाली के स्थान पर नयी परीक्षा प्रणाली, जिसमें दो घण्टे का विषयात्मक एवं एक घण्टे का वस्तुनिस्ठ प्रश्नपत्र सम्मिलित किया जाना चाहिए। डिप्टी हेड एग्जामिनर एवं डिप्टी एग्जामिनर के द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पूर्व इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इसके पश्चात इनके द्वारा परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षित किया जाय।

कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल मॉड्यूल्स तैयार किये जाए तथा कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए 10 दिवसीय इंटर्नशिप प्रोग्राम तैयार किये जाए, जिन्हें माह अप्रैल–2021 से लागू किया जा सके। सभी स्तर की शिक्षा पर मैसिव टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की संघोषणा करनी होगी।

प्रो0 सदानन्द प्रसाद गुप्त, कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के स्ववित्तपोषित, राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों के संकायों में अत्यधिक भिन्नता है जिसे समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा बहुशिक्षा की बात की गयी एवं भारतीय भाषा को कैसे शिक्षा में समाहित करें, पर विचार किये जाने का सुझाव दिया गया।

डॉ0 अब्बास नैयर, उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के समस्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति में भिन्नता है। सामान्य शिक्षण संस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर भी लागू की जाए।

श्री वाचस्पति मिश्र, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, संस्कृत संस्थान, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के चौथे एवं बाइसवें अध्याय में संस्कृत को महत्ता प्रदान की गयी है। यदि छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही संस्कृत की शिक्षा प्रदान की जाए तो उच्च शिक्षा में विद्यार्थी संस्कृत विषय को चयन करने हेतु अभिरूचि प्रदर्शित करेंगे। प्राथमिक शिक्षा में संस्कृत के माध्यम से नैतिक योग एवं चरित्र निर्माण के विषयों को समाहित कर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए।

डॉ0 निशी पाण्डेय, अंग्रेजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यार्थियों को अपनी मातृ भाषा के अतिरिक्त देश अथवा विदेश की किसी अन्य भाषा का भी ज्ञानार्जन करना चाहिए जिस हेतु राज्य को उच्च शिक्षा के स्नातकोत्तर या पी0एच0डी0 स्तर पर एक मातृ भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा को एक पेपर के रूप में अनिवार्य कर देना चाहिए।

डॉ0 विनय पाठक, कुलपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि उच्च शिक्षा में संस्थानों को स्वयात्तता प्रदान करने हेतु मंथन करने की आवश्यकता है। चूंकि राज्य में स्थित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय नैक ग्रेड एवं एन0ई0आर0 रैकिंग एवं आधारभूत सुविधाओं में बहुत पीछे हैं। अतः स्वायत्तता प्रदान करने के आधार पर विचार करना होगा। सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रीमियम कोर्स कैसे चलाएं जाए, इस पर भी विचार करना होगा।

यह भी सुझाव दिया गया कि प्रदेश के उच्च शिक्षा से संबंधित समस्त विभागों (उच्च, तकनीकी, व्यवसायिक शिक्षा) को एकीकृत करने की आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में छात्रों को कोई भी विषय चयन करने का विकल्प है। उदाहरणार्थ यदि विद्यार्थी एक विषय तकनीकी विभाग का लेता है एवं एक विषय उच्च शिक्षा का लेता है तो तकनीकी शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षण संस्थानों में समन्वय होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थान स्तर पर वोकेशनल शिक्षा पर भी ध्यान केन्द्रित करने का सुझाव दिया गया।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में सुझाये गए बिन्दुओं के आधार पर कार्य किया जा रहा है। भविष्य में स्टीयरिंग कमेटी के गठन के उपरान्त इसे और परिष्कृत कर कार्ययोजना तैयार कर ली जायेगी। शिक्षा समिति से परीक्षण कराने के उपरान्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु निर्धारित किये जाने की कार्ययोजना है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को प्रदान किया जायेगा, जिस हेतु आंगनवाडी में कार्यरत कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा हेतु सतत् मूल्यांकन की आवश्यकता है, जिससे परीक्षा बोझ न होकर अभिरूचि/आकर्षण का केन्द्र बन सके।

प्रो0 अरविन्द मोहन, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को सभी विभागों पर परीक्षण के उपरान्त निर्मित किया है। इस हेतु राज्य को उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित इंडीकेटर चिन्हित करने होंगे कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को क्रियान्वित करने हेतु क्या–क्या चुनौतियों का सामना करना होगा। चुनौतियों की रिपोर्ट बनाकर टास्कफोर्स के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिससे ससमय उन चुनौतियों का निराकरण किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 क्रियान्वित करने हेतु सक्षम एवं पर्याप्त मानव संसाधन की आवश्यकता अनिवार्य है। अवगत है कि समस्त उच्च शिक्षण संस्थान में एक समान शिक्षक एवं संकाय उपलब्ध नहीं है। इस समस्या का निराकरण तकनीक के प्रयोग से आसानी से किया जा सकता है। यह भी सुझाव दिया गया कि माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से ऑनलाइन लेक्चर का प्रबन्ध भी किया जा सकता है।

अवगत है कि यू0जी0सी0 के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में 20 प्रतिशत शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से दिये जाने का प्रविधान है। अतः इन ऑनलाइन शिक्षा को शत्–प्रतिशत मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता है।

सुश्री एस0 राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि तीन वर्ष से अधिक बच्चों को बेसिक शिक्षा के साथ फार्मल पाइप लाइन में लाने की आवश्यकता है। जिसके द्वारा आंगनवाडी एवं शिक्षकों को बेसिक शिक्षा हेतु अग्रसरित

करने हेतु सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। वोकेशनल शिक्षा को कक्षा 6 से अधिक में मुख्य धारा के रूप में अपनाए जाने का सुझाव दिया गया। कक्षा 6, 7 एवं 8 में कौशल शिक्षा से संबंधित एक संरचनात्मक ढांचा तैयार करने का सुझाव दिया गया, जिसका उद्योगों के साथ भी समन्वय हो। वोकेशनल शिक्षा की कार्ययोजना समयावधि निर्मित किए जाने हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा किस तरह के कोर्स का चयन छात्रों हेतु किया जाना है, का निर्धारण करने का सुझाव दिया गया। कौशल शिक्षा हेतु जो प्रमाणपत्र प्रदान किए जाए उनकी वैधता जीवनपर्यन्त होनी चाहिए। वोकेशनल शिक्षा पी0पी0पी0 मॉडल पर आधारित होने पर विचार करने की आवश्यकता है।

श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु एक **"स्टीयरिंग कमेटी"** का भी गठन किया गया है। कमेटी की निरन्तर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बैठकों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के 16 पहलुओं को चिन्हित कर 16 वर्किंग ग्रुप हेतु 16 ऐंकर का निर्माण कर लिया गया है। प्रत्येक ऐंकर एक–एक Keynote पर कार्य कर रहे हैं। बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ उच्च शिक्षा में छात्र/छात्राओं को किसी भी कोर्स/विषय में Exit or Re-entry की अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था का सुझाव दिया गया। कौशल शिक्षा में छात्र/छात्राओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम सम्मिलित किए जाने पर चर्चा की। उच्च शिक्षा विभाग के तीन चरणों हेतु रोड मैप बनाया जा रहा है। विभाग द्वारा समस्त विद्यार्थियों हेतु मेजर एवं माइनर कम्पलसरी कोर्स सम्मिलित किए जायेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में वेबिनार के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहें हैं, जिससे नीति को समझने एवं उनके क्रियान्वयन हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों के सुझावों को भी सम्मिलित किया जा सके।

श्रीमती आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में डिजीटल लर्निंग के माध्यम से काउन्सिलिंग करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त राजकीय एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों को क्लस्टर विद्यालय बनाए जाने एवं उनके संसाधनों का आपस में तकनीक के माध्यम से एक्सचेंज कर विद्यालयों की असक्षमता को दूर करने का सुझाव दिया गया।

यह भी सुझाव दिया गया कि कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग को समाप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं 14 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए सेमेस्टर प्रणाली को अपनाए जाने की आवश्यकता है। सेवित एवं असेवित क्षेत्रों जहाँ विद्यालयों की व्यवस्था नहीं है, चिन्हित कर विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। लर्निंग आउटकम पर ध्यान केन्द्रित करने का सुझाव दिया गया।

श्री वी0पी0 खण्डेलवाल, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि प्री प्राइमरी विद्यालय हेतु आंगनवाडी पर्याप्त नहीं है। आंगनवाडी में शिक्षक का न होना उचित नहीं है। अतः राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं शैक्षिक ढाँचा तैयार करना होगा।

कक्षा 1 से 5 तक मातृ भाषा के प्रयोग हेतु जोर देने की आवश्यकता है। मातृ भाषा के अतिरिक्त स्थानीय भाषा एवं स्थानीय भाषा के साहित्य भी विद्यालयों को उपलब्ध कराना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 सर्वजन शिक्षा, गुणवत्ता पर विचार किया गया है परन्तु उसका समाधान अद्यतन अप्राप्त है। अतः हमें लक्ष्य निर्धारित कर समस्या का निराकरण करना होगा। पाठ्यक्रम में शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्यकलापों को सम्मिलित करना होगा।

श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में अधिकतर छात्राएं कक्षा 8 के उपरान्त निकट विद्यालय न होने की स्थिति में उनको विद्यालय को छोड़ना पड़ता है। अतः कक्षा 12 तक विद्यालयों को आवासीय विद्यालयों में परिवर्तित किए जाने का सुझाव दिया गया, जिससे जैन्डर गैप न हो।

उच्च शिक्षण संस्थान में प्रत्येक विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों व्यवसायिक शिक्षा हेतु Incubation Hub बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थी अपने भविष्य के निर्माण का प्रारम्भ विश्वविद्यालय स्तर से ही कर सकते हैं, जिस हेतु विश्वविद्यालय एवं औद्योगिक हब आपस में समन्वय स्थापित करें।

प्रो0 गिरीश चन्द्र त्रिपाठी, अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एक विचार है। शिक्षा जिसकी अपनी स्वयं की दृष्टि एवं पहुँच है। शिक्षा की पृष्ठभूमि केवल ह्रदय का परिमार्जन है सभी शिक्षा विभाग एक दूसरे से जुड़े हैं। इनका कोई खण्ड नहीं है यह बहुआयामी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता/प्रतिभा को समझकर उनके उत्कर्ष तक ले जाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का उद्देश्य है। कोविड–19 के दृष्टिगत हाईब्रिड मोड पर शिक्षण आज की आवश्यकता है।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा टास्कफोर्स के समस्त सदस्यों का बैठक में प्रतिभाग करने एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संबंध में अपने–अपने सुझाव देने हेतु आभार व्यक्त किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की आवश्यकता थी। वर्ष 1991 की नई अर्थनीति के बदलने के उपरान्त ही नई शिक्षा नीति की आवश्यकता हो गयी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में शिक्षा का कोई भी पक्ष छूटा नहीं हैं। सबसे बडी बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था में जो खालीपन था संस्कृति का वह इस नीति के माध्यम से लिंक हो गया है। "जड़ से जग तक" पर आधारित शिक्षा नीति पूर्णतः प्रसांगिक एवं आवश्यक है, जो कि भारत को आत्मनिर्भर करने की दिशा में एक कदम और अग्रसरित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के माध्यम से जो मार्ग–दर्शन व निष्कर्ष निकलेगा, उसे राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा। साथ ही उनके द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की आगामी बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को अपरान्ह् 03:00 बजे टास्कफोर्स के समस्त सदस्य अपने–अपने विषय के आलेख तैयार कर बैठक में व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करने हेतु अनुरोध किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के विषय निम्नवत हैः–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संबंध में प्राथमिक विद्यालयों को सम्मिलित किये जाने हेतु तैयारी।
- आधारभूत सुविधाएं एवं स्त्रोत। जैसेः आपरेशन कायाकल्प
- विद्यार्थी एक विषय का ज्ञान अर्जित न करके एक कौशल ज्ञान भी प्राप्त कर सकें।
- समावेशी शिक्षा। जैसे कि दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में लाए। उत्तर प्रदेश राज्य में छात्र/छात्राओं का जी0ई0आर0 वर्तमान में 26 प्रतिशत है जिसको बढाकर 50 प्रतिशत करने हेतु कार्ययोजना। इसी प्रकार वोकेशनल शिक्षा हेतु कार्ययोजना का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
- मूल्यांकन एवं सेमेस्टर प्रणाली हेतु कार्ययोजना का निर्माण किया जाना ताकि परीक्षाओं के तनाव से विद्यार्थियों को दूर किया जा सके।

- बोर्ड को अधिक शक्ति या कार्यक्षेत्र प्राप्त होने चाहिए। अतः समस्त क्षेत्रों में एक नई एकेडमिक काउन्सिल का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
- जिन विभागों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 से संबंधित स्टीयरिंग समिति का गठन नहीं किया गया है उस विभागों द्वारा समिति का गठन किया जाय।

अन्त में धन्यवाद–ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
सदस्य–सचिव

पृ0सं0:स0शि0 / नियो0 / एन0ई0पी0–टा0फो0(कार्यवृत्त) / 4542 / 2020–21 दिनांकः 22 सितम्बर, 2020

1. निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. डॉ0 गिरीश चन्द्र त्रिपाठी, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. श्री अनिल स्वरूप, पूर्व सचिव, भारत सरकार।
9. श्री अशोक गांगुली, पूर्व अध्यक्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
10. डॉ0 विनय पाठक, कुलपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, लखनऊ।
11. श्री वाचस्पति मिश्र, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश।
12. श्री वी0पी0 खण्डेलवाल, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक।
13. श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक।
14. प्रो0 अरविन्द मोहन, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
15. डॉ0 निशी पाण्डेय, अंग्रेजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
16. डॉ0 अब्बास नैयर, उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
17. प्रो0 सदानन्द प्रसाद गुप्त, कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
सदस्य–सचिव

दिनांक 28.09.2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में गठित टास्क फोर्स की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक/व्यवसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग को सम्मिलित करते हुए डॉ0 दिनेश शर्मा, मा0 उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की द्वितीय बैठक दिनांक 28.09.2020 को सचिवालय स्थित मुख्य भवन, सभाकक्ष संख्या–80 में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित टास्क फोर्स के नामित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. प्रो0 गिरीश चन्द्र त्रिपाठी, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद।
2. सुश्री एस0 राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग।
3. श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. श्रीमती आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
5. श्री अशोक गांगुली, पूर्व अध्यक्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
6. श्री वाचस्पति मिश्र, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश ।
7. डॉ0 निशी पाण्डेय, अंग्रेजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक।
9. प्रो0 अब्बास रज़ा नैय्यर, उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10. प्रो0 अरविन्द मोहन, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
11. प्रो0 सदानन्द प्रसाद गुप्त, कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
12. श्री विजय किरन आनन्द, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

जूम ऐप के माध्यम से प्रो0 बी0पी0 खण्डेलवाल, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा प्रतिभाग किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के टास्क फोर्स की द्वितीय बैठक के प्रारम्भ में डॉ0 दिनेश शर्मा, मा0 उप मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के साथ प्रारम्भ हुआ। उनके द्वारा प्रथम बैठक में सदस्यों द्वारा किये गये विचार–विमर्श की सराहना की गयी तथा प्रथम बैठक के कार्यवृत्त के प्रमुख बिन्दुओं पर अपने विचार/सुझाव दिये गये। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के यथाशीघ्र चरणबद्ध क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये।

बैठक में अवगत कराया गया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्टीयरिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है एवं शिक्षा नीति के मुख्य बिन्दुओं का चिन्हांकन करके उन पर कार्य करने हेतु 17 वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है, अब तक स्टीयरिंग कमेटी की 15 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें वर्किंग ग्रुप द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा स्टीयरिंग कमेटी का गठन कर लिया गया है और 7 फोकस एरिया चिन्हित करते हुये वर्किंग ग्रुप गठित किये गये हैं। स्टीयरिंग कमेटी की बैठकें की जा रही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की स्टीयरिंग कमेटी के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रो0 बी0पी0 खण्डेलवाल, पूर्व शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में डिजिटलाइजेशन को प्राथमिक विद्यालय तक संचार–सुविधा एवं उपकरण की उपलब्धता के साथ सुनिश्चित करना प्रमुख नीतिगत अनिवार्यता है। बच्चों की 03 वर्ष की आयु से आरम्भ आधारिक शिक्षा के प्रथम पाँच वर्ष अर्थात कक्षा–2 तक महत्वपूर्ण माने गये हैं। इसके लिए शिक्षा और बाल कल्याण विभाग को एक साथ कार्य करना अनिवार्य होगा।

- आँगनवाडी की स्थापना, निदेशिकाओं की नियुक्ति, प्रशिक्षण और केन्द्र पर सभी बालक–बालिकाओं को लाना, अनुभवजन्य सीखने की तीन वर्ष की शिशु–शिक्षा, सुबह के नाश्ते और

मध्यान्ह भोजन की पूर्ण व्यवस्था–एक व्यापक कार्य है, जिसे बाल विकास कल्याण और अन्य सम्बन्धित विभाग शिक्षा में सहयोग से संचालित और पर्यवेक्षित करें, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन बच्चों को प्राथमिक कक्षा–1 में स्वतः प्रवेश दोनों के द्वारा चिन्हित व्यवस्था में किया जाएगा।

- अन्य विद्यालय यथा प्राइमरी, पूर्व माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में भी, जहाँ सम्भव हो, यह 3 वर्षीय कक्षायें प्रारम्भ की जानी चाहिए। इन सभी में अतिरिक्त कक्ष, सम्बद्ध उपकरण, अध्यापिका, निदेशिका आदि कम व्यय पर रखे जा सकते हैं। शासन द्वारा माध्यमिक तक सबको शिक्षा के लिए क्रमागत वृहद् वित्तीय नियोजन करना वांछित है ताकि सभी अतिरिक्त आवश्यकता की व्यवस्था गुणात्मक स्तर पर बिना किसी समझौते के हों। यह भी बताया गया कि प्राथमिक को पूर्व माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक को माध्यमिक, विशेषकर बालिकाओं के लिए उच्चीकृत करने अथवा दो इकाइयों को एक ही प्रांगण में अवस्थित करने का आवश्यकतानुसार क्रमागत कार्यक्रम बनाया जाए। इससे कम लागत में कार्य हो सकता है तथा विद्यालय संकुल व्यवस्था को भी बल मिलेगा।
- शैक्षिक गतिविधि ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और मूल्यपरक मानकों पर समान स्तरीय हो, यह सुनिश्चित किया जाय ताकि समन्वयन और अंतर्स्थान स्वीकार्यता बनी रहे। प्रत्येक बालक /बालिका का एक समवेत कम्प्यूटर कार्ड/संस्थान पत्र बनाया जाना व्यवस्थात्मक दृष्टि से आवश्यक होगा। यह एक ही कार्ड कक्षा 12 तक के लिए हो और डिजिटल किया जाय।
- वोकेशनल शिक्षा का उद्देश्य व्यावहारिक स्व–रोजगार या उस व्यवसाय (Vocation) में सेवा के योग्य बनाने पर आधारित क्षमता प्राप्त कराने का है, जिससे धर्नाजन हो। छात्र–छात्राओं द्वारा किसी अध्यवसाय का चयन अभिरुचि, योग्यता और श्रम बाजार की भविष्य की आवश्यकता एवं सम्भावनाओं के अनुरूप होगा।
- व्यवसायिक शिक्षा समय, स्थान और आवश्यकता के अनुसार यथावधि हों। एक ही विद्यालय में कई वोकेशन हो सकते हैं, चाहे संख्या कम भी हो। अंतर्विभागीय समन्वय एवं जहाँ वह व्यवसाय हो रहा है, उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। मूल्यांकन स्तरीकरण भी इन्हीं सबके सहयोग से निर्धारित होगा ताकि प्रमाण–पत्र की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध एवं स्वीकार्य हो। ऐसे कार्य विशेषज्ञ और शिक्षक उपलब्ध हों, जो अध्यापन के साथ जुड़ कर वोकेशनल कार्य भी करें।
- यह भी अवगत कराया गया कि मातृ भाषा में शिक्षा आरम्भ से हो, क्रमोत्तर अन्य दो भाषायें भी सम्मिलित हों। प्रदेश की भाषा हिन्दी है, जो राष्ट्र भाषा है। यह अनिवार्य हो। इसके कई स्तर रखे जा सकते हैं यथा–प्रारम्भिक, सामान्य, साहित्यिक। कक्षा–6 से हिन्दी में एक अंश संस्कृत का सभी के लिए रखा जाए। संस्कृत अलग से भी एक भाषा विषय हो। हिन्दी में दो प्रश्न पत्र हो (जैसा पहले तीन प्रश्न पत्र व्यवस्था में था) एक गद्य और पद्य के लिए और दूसरा निबन्ध और संस्कृत के लिए हो।
- देश की अन्य भाषाओं को पढ़ाने की सुविधा भी प्रदान की जाय। त्रिभाषा फार्मूला के अनुसार दो अन्य भाषायें स्तर की आवश्यकता के अनुसार दी जायं। अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषायें विशेषकर शहरी क्षेत्रों में विकल्प में उपलब्ध हों। तद्नुसार अध्यापक व्यवस्था की जाए।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन– यह बोर्ड देश का प्रथम बोर्ड है। इस बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षणिक सामग्री, विद्यालय मान्यता निरीक्षण और परीक्षा का समस्त कार्य सम्पादित किया जा रहा है। कालान्तर में एस0सी0ई0आर0टी0 के साथ सहयोग से कुछ कार्य किये जाते रहे हैं। इनकी विशेषज्ञता को सुदृढ़ ढाँचा प्रदान किया जाय। यह माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता से लेकर मूल्यांकन तक अन्य कार्य भी करें।
- विश्व में सर्वाधिक परीक्षार्थी संख्या के कारण कक्षा 10 और कक्षा 12 के दो सहबोर्ड बनाए जाएँ। केन्द्रीय बोर्ड मुख्यालय नीति, शोध, नियोजन, दिशा–निर्देश पर्यवेक्षण एवं समीक्षा के विशिष्ट उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा। शिक्षा नीति के अनुसरण में बोर्ड में विशिष्ट इकाइयों का निर्धारण किया जाय।

* प्रदेश में राज्य ओपन संस्थान (SIOS) की स्थापना की जाए जो समान स्तर पर कक्षा 10 और कक्षा 12 की शिक्षा एवं परीक्षा का कार्य देखें।
* एस0सी0ई0आर0टी और विशिष्ट संस्थानों का पुनर्गठन, विस्तार, कार्य निर्धारण एवं नए संस्थानों की स्थापना का अभिमत भी दिया गया।
* सम्पूर्ण शिक्षा और सम्पूर्ण मूल्याँकन। ज्ञान कौशल्य और संस्कृति आधारित मूल्य शिक्षा का मूल्यांकन भी सभी पक्षों पर सतत हो। इस दिशा में बोर्ड और एस0सी0ई0आर0टी0 को विस्तृत कार्य करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास के मूल्यांकन की व्यवस्था और अभिलेखीकरण पर बल दिया गया है। अतः नीति–निर्धारण के साथ आरम्भिक आधारित स्तर +3 से कक्षा 12 तक के सभी पक्षों के मूल्यांकन का रिकॉर्ड एक शिक्षार्थी– एक कार्ड के आधार पर कम्प्यूटरीकृत किया जाए। इसके लिए प्रत्येक केन्द्र/विद्यालय तक कम्प्यूटर की उपलब्धि और प्रत्येक विद्यार्थी का सम्पूर्ण रिकॉर्ड अभिलेखीकरण की आवश्यकता होगी।

श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, पूर्व शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लगभग 4 वर्षों में तैयार की गयी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पाँच बार चर्चा की गयी और नई शिक्षा नीति से एक बड़ा बदलाव (Transformation of Society) आये और तद्नुसार समय–समय पर सुधार भी हुए हैं। इस नीति में यह कहा गया है कि एक बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रयास किया जाय। यह भी अवगत कराया कि इस नीति का क्रियान्वयन बिन्दुवार किया जाय अन्यथा बहुत सारे महत्वपूर्ण बिन्दु छूट जायेंगे, यह पूरे देश की शिक्षा नीति है और पूरे देश का प्रभाव इस नीति में है। सारे देश की आकांक्षाएं इससे जुड़ी हुई हैं। इस सम्बन्ध में बिन्दुवार सुझाव दिया गया:–

* उच्च शिक्षा में बोर्ड ऑफ गवर्नेन्स बनाया जाय, जिसके माध्यम से Head of the Institution का चयन किया जाय। बोर्ड ऑफ गवर्नेन्स अधिकृत होगा कि वह और लोगों को पैनल में ले। बोर्ड ऑफ गवर्नेन्स लीडर का चुनाव करेगा तथा कमेटी बनायेगा। रणनीति का टाइमलाइन आधारित और चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वयन किया जाय।
* एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उस तरह की शिक्षा भी हो। हिन्दी का पक्ष मजबूत करने के लिए संस्कृत को बढ़ावा देना होगा। संस्कृत बुनियाद है और सभी भाषाओं का इससे ही उद्गम होता है। संस्कृत विद्यालय तथा अध्यापकों पर भी ध्यान देना होगा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और शान्ति का भाव लाना होगा। विश्वासघात, धोखाधड़ी एवं विश्वनीयता में क्या अन्तर है यह बच्चों को समझ आना चाहिए। प्रदेश में जो पढ़ाते हैं, वही सोच बनाते हैं, वही मूल्यांकन करते हैं और वही रेगुलेटर भी हैं। हिन्दी का बड़ा स्वरूप उत्तर प्रदेश में है। नैतिक शिक्षा बहुत आवश्यक है।
* एस0सी0ई0आर0टी0 का पृथक्करण ठीक नहीं इसे पुनः देखा जाय। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए कार्ययोजना बनाया जाना आवश्यक है। पहले समूह–ख के अधिकारियों को एक वर्ष का प्रशिक्षण राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) में कराया जाता था। वहाँ उच्च शिक्षा विभाग भी है। अतः अच्छे अधिकारी तैयार करने पर विचार किया जाय। रेगुलेटरी सिस्टम में गवर्नेन्स मॉडल में बदलाव करना होगा। राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट), जो बहुत अच्छा संस्थान रहा है, को सुदृढ़ किया जाय तथा इसके लिए नीति निर्धारण करना आवश्यक है।

श्री अशोक गांगुली, पूर्व अध्यक्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता इस बात की है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनायें। इस सम्बन्ध में विभिन्न मुद्दों को चिन्हित करके लघु अवधि (Short Term) एवं दीर्घावधि (Long Term) योजना तैयार कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में संसाधन एवं जनशक्ति के दृष्टिगत कार्यवाही की जाय। माध्यमिक शिक्षा में इसी पैटर्न को लेने का प्रयास किया है। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता के

पहलू को दृष्टिगत रखते हुए चार स्तम्भ हैं–भाषा और गणित में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसी प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। यदि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे पीछे रह जायेंगे। कैरीकुलम, पैडागोजी एवं परीक्षा में व्यापक सुधार अगले दो वर्ष में करना होगा। माध्यमिक शिक्षा के पास कैपासिटी बिल्डिंग के लिए कोई संस्था निर्धारित नहीं है, जिसकी रणनीति तैयार की जाय।

यह भी अवगत कराया कि हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत को समान प्लेटफार्म पर प्रदेश में रखा जाय। प्रदेश के छात्र–छात्राओं का आई0सी0एस0ई0 एवं सी0बी0एस0सी0 विद्यालयों में पलायन हो रहा है। प्रत्येक जनपद के एक राजकीय विद्यालय में एक विदेशी भाषा में पढ़ाये जाने पर विचार किया जाना चाहिए। अन्य प्रदेशों की आधुनिक भाषाओं को भी पढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (State School Standard Authority) होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक विद्यालय की जिम्मेदारी हो। माध्यमिक शिक्षा विभाग में पहले लागू किया जाय। तदोपरान्त बेसिक शिक्षा विभाग में लागू किये जाने का सुझाव दिया गया। परीक्षा में व्यापक सुधार एवं शिक्षक क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

श्रीमती मोनिका एस. गर्ग, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार–विमर्श एवं मंथन हेतु प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय द्वारा 29 निजी विश्वविद्यालय द्वारा 34 तथा विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा 77 वेबिनार/वेबकॉन्स अब तक आयोजित किये गये हैं।

- अवगत कराया कि आनलाईन शिक्षा को बेहतर एवं आसान बनाने के उद्देश्य से विभाग ने ई–लाइब्रेरी विकसित कर ली है। ई–कंटेन्ट पोर्टल दिनांक 05 सितम्बर, 2020 को प्रयोगात्मक रूप से क्रियाशील कर दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाईब्रेरी के नाम से जाना जाता है। छात्रों के हित में ई–कंटेन्ट को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों द्वारा अधिक से अधिक ई–कंटेन्ट उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से माह सितम्बर–अक्टूबर, 2020 को विद्यादान माह के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त ऑनलाइन पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना है। डिजिटल लाईब्रेरी में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों के माध्यम से अधिक से अधिक विषय के समस्त पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित सभी शीर्षकों के ई–कंटेंट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अद्यतन 18 विश्वविद्यालयों द्वारा यू0जी0 एवं पी0जी0 पाठ्यक्रमों में कुल 5548 ई–कंटेन्ट की गुणवत्ता की परख कर डिजिटल लाईब्रेरी पर अपलोड किया जा चुका है। अल्प समय में न्यूनतम व्यय के साथ उत्तर प्रदेश डिजिटल लाईब्रेरी के निर्माण तथा तीव्र गति से अधिक संख्या में कंटेन्ट अपलोड किये जाने पर मा0 उप मुख्यमंत्री जी ने उच्च शिक्षा विभाग की सराहना की।
- यह भी कहा गया कि वर्तमान में यू0जी0सी0 द्वारा जारी गाईडलाइन में ऑनलाइन शिक्षा मात्र 20 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया गया है। कोरोना के इस समय में छात्रों को वर्तमान में ऑनलाईन शिक्षा ही प्रदान की जा रही है। चर्चा हुई कि पोस्ट कोविड काल में छात्रों की शिक्षा का माध्यम न्यूनतम 40 प्रतिशत ऑनलाईन रखा जाय। इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग, भारत सरकार को पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए।

डॉ0 निशी पाण्डेय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सुझाव दिया गया कि शिक्षकों को मिश्रित पठन–पाठन एवं नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। टास्क फोर्स द्वारा निर्देश दिये गये कि शिक्षकों को सामयिक विशयों पर प्रशिक्षण देने के लिए सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर से तथा अपने संसाधनों से अपने शिक्षकों एवं सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाय। उक्त हेतु शासन स्तर से परिपत्र जारी किया जाये।

- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने अनुरोध किया कि व्यवसायिक शिक्षा विभाग अपने पोर्टल के विषय में सभी विभागों को पत्र के माध्यम से जानकारी प्रेषित कर दें ताकि संस्थान उसका उपयोग छात्रहित में कर सकें। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि सभी स्तर की शिक्षा के

दौरान कौशल विकास के लिए एक अन्तर्विभागीय समूह बनाया जाय। मिशन डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की अध्यक्षता में समूह के गठन का निर्णय लिया गया, जिसमें उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा के निदेशक, बुन्देलखण्ड इन्स्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (BIET), झांसी के निदेशक सदस्य होंगे तथा डॉ0 अंशु यादव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, सदस्य–सचिव होंगी। यह समिति माध्यमिक से उच्च शिक्षा तथा आई0टी0आई0/पॉलिटेक्निक से उच्च शिक्षा के प्रोग्रेशन के सम्बन्ध में चर्चा कर तीन सप्ताह में अपनी रिपोर्ट उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रेषित करेगी।

- Graded autonomy, Phasing out of affiliation, BOG आदि बिन्दुओं का प्रस्ताव/बेस नोट तैयार करने हेतु टास्क फोर्स द्वारा श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में वर्किंग समूह का गठन किया गया, जिसमें विभाग के वर्किंग ग्रुप के सदस्यों एवं प्रो0 अरविन्द मोहन के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञों को श्री त्रिपाठी द्वारा नामित किया जायेगा।
- डॉ0 निशी पाण्डेय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से अनुरोध किया गया कि बहुभाषीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में कान्सेप्ट नोट तैयार कर टास्क फोर्स की आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण करें। इसके अतिरिक्त, समस्त विश्वविद्यालयों में भाषा से सम्बन्धित सभी पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु मा0 उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए।
- टास्क फोर्स द्वारा निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालयों से एम0फिल0 को समाप्त करने हेतु शासन स्तर से निर्देश जारी किये जाएं।
- नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस आयोजित किये जाने के निर्देश मा0 उप मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये।

प्रो0 अरविन्द मोहन, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि माइक्रो परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का अनुपालन करना होगा। हम आज भी छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे रोजगारपरक पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें हम अद्यतन उच्च शिक्षा का अंग नहीं बना पाये हैं। अतः विश्वविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का चुनाव कर छात्रों को रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करनी होगी। छात्रों में कौशल विकास के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में समन्वय स्थापित किया जाना होगा।

उनके द्वारा अवगत कराया गया कि लीडर्स की नियुक्ति बोर्ड ऑफ गवर्नेंस से करायी जाय, जिससे बेहतर नेतृत्व का चुनाव किया जा सके। यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 17 वर्किंग समूह गठित करके व्यवस्थित ढंग से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्रेडिट ट्रांसफर कैसे करें, इसकी कार्यशैली निर्धारित करनी होगी, जो छात्र ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उनके लिए कान्टैक्ट क्लासेज़ की शैली अपनाई जानी चाहिए, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा के साथ–साथ छात्र वास्तविक कक्षा में उपस्थित होकर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

सुश्री एस0 राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि व्यवसायिक शिक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज की व्यवस्था दी गयी है, जिसके लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत कक्षा–6 से व्यवसायिक शिक्षण की प्रक्रिया पर कार्य करने की आवश्यकता है। इन्डस्ट्रीज़ पार्टनरशिप के लिए विभाग द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। व्यवसायिक शिक्षा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

प्रो0 अब्बास रज़ा नैय्यर, उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 सम्बन्धी सकारात्मक सोच को स्वामी विवेकानन्द एवं यूनेस्को कमीशन 1996 की रिपोर्ट से जोड़कर देखा जा सकता है। हमारा शैक्षिक ढाँचा वर्षो से जिस पुराने तरह से चल रहा था, उसके कारण नई सोच और ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल सका। इसके साथ ही अनेक कारणों एवं विशेष रूप से दुनिया में तेज गति से हो रहे बदलावों के दृष्टिगत नई शिक्षा नीति आवश्यक है। उस पर अमल प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

श्री वाचस्पति मिश्र, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, संस्कृत संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि दूसरे देशों में अपनी भाषा में समस्त विषयों का अध्यापन कराते हैं तो हमें भी अपनी मातृभाषा में अध्यापन कराने का सुझाव दिया गया। प्राथमिक कक्षाओं में हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत एवं अन्य भाषाओं को जोड़ा जाय, भारतीय भाषा पर बल देना चाहिए। अनुवाद के संस्थान खोले जायें। मातृभाषा सिखाने के लिए पूर्व प्राथमिक से प्रारम्भ किया जा सकता है। अन्य भाषाओं के अध्यापकों की व्यवस्था भी की जाय।

प्रो0 सदानन्द प्रसाद गुप्त, कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि संस्कृत के अध्यापन हेतु संस्कृत के अध्यापकों की अत्यन्त कमी है, जिसे पूरा किया जाना चाहिए। विदेशी भाषाओं की अपेक्षा भारतीय भाषा पर बल दिये जाने का सुझाव दिया।

श्रीमती आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि स्टीयरिंग कमेटी गठित कर 7 फोकस एरिया चिन्हित करते हुए वर्किंग ग्रुप बनाये गये हैं, जिसमें करिकुलम और पेडागॉजी, मूल्यांकन तथा परीक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षकों का क्षमता संवर्धन एवं शिक्षक भर्ती, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विद्यार्थी समर्थन व्यवस्था, शिक्षा में तकनीकी तथा कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेन्स सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि पाठ्यक्रम के लोड में कमी के अन्तर्गत जैसे– आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स नेनो टेक्नोलॉजी साइबर सिक्यूरिटी, वैश्विक नागरिकता शिक्षा, किशोरावस्था शिक्षा जेण्डर सेन्सीटिविटी, आपदा प्रबन्धन शिक्षा, क्लाइमेट परिवर्तन आदि जोड़े जाने का विचार है। विषय चयन के सम्बन्ध में बताया गया कि सत्र 2021–22 में राजकीय/वित्त पोषित विद्यालयों में भौतिक सुविधा, जनशक्ति तथा स्थानीय मांग के आधार पर स्कूल मैपिंग के अन्तर्गत कक्षा–9 में विषय चयन की सुविधा शैक्षिक सत्र 2022–23 से लागू किये जाने की व्यवस्था की जाय। ग्रामीण और अर्धनगरीय क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक विद्यालयों में 'कृषि विज्ञान' विषय को प्राथमिकता दिया जाना है।

प्रायोगिक आधारित अधिगम (Experiential Learning) पर बल दिये जाने की बात रखी गयी है। यह भी बताया कि शैक्षिक सत्र 2021–22 से कक्षा–9 में विज्ञान विषय की लर्निंग में 'हैण्ड्स ऑन एक्टीविटीज' प्रत्येक विषय में "प्रोजेक्ट कार्य" सम्मिलित किया जाय। इनोवेटिव पेडागॉजी – सी0बी0एस0ई0 का कक्षा 6–10 हेतु विज्ञान/गणित माडल अंगीकृत/संशोधन, शैक्षिक सत्र 2021–22 से राजकीय विद्यालयों में कक्षा–9 में विज्ञान/गणित में लागू करना एवं 2022–23 से कक्षा–9 में अन्य विषयों में लागू किये जाने की बात कही गई। यह भी अवगत कराया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद शैक्षिक सत्र 2021–22 से 32 सप्ताह के 'साप्ताहिक टीचिंग प्लान' का फ्रेमवर्क, तैयार करेगा जो तीन भागों – कक्षा शिक्षण के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से एवं प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से होगा।

भाषा शिक्षण के सम्बन्ध में बताया गया कि विदेशी भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाएं मण्डल मुख्यालय के एक राजकीय विद्यालय में अध्ययन, शास्त्रीय भाषाओं से सम्बन्धित साहित्य और आनलाइन माड्यूल की उपलब्धता की जायेगी। हिन्दी एवं अंग्रेजी के साथ–साथ संस्कृत भाषा हेतु दो स्तर : 'हायर और लोअर' की व्यवस्था की बात कही गई। इसी के साथ ही शासकीय विद्यालयों में चरणबद्ध रूप में कक्षा 6–12 तक अंग्रेजी माध्यम का एक–एक सेक्शन रखा जाय। यह भी अवगत कराया कि कौशलों को सूचीबद्ध कर 2021–22 में शिक्षकों की तैयारी, एवं 2022–23 में प्रथम चरण में

550 राजकीय विद्यालयों में लागू किया जायेगा। जीवन कौशल शिक्षा – शैक्षिक सत्र 2022–23 से जीवन कौशल शिक्षा लागू किये जाने का प्रस्ताव है।

मूल्याँकन व परीक्षा प्रणाली में सुधार के दृष्टिगत परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण किया जायेगा। बच्चों के मूल्याँकन हेतु सर्वांगीण रिपोर्ट कार्ड का विकास किया जायेगा, जो शैक्षिक सत्र 2022–23 से लागू होगा। इसी के साथ ही मूल्यांकनकर्ताओं का चरणबद्ध ढंग से अभिमुखीकरण का प्रस्ताव रखा गया।

शिक्षकों का क्षमता संवर्धन एवं शिक्षक भर्ती की रूपरेखा एवं कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी। इसके अन्तर्गत क्षमता संवर्धन हेतु औपचारिक संरचनात्मक संस्थाओं सीमैट, आई0ए0एस0ई0 एवं सी0टी0ई0 का विकास एवं अन्य अग्रणी संस्थाओं यथा–आई0आई0एम0, लखनऊ, आई0आई0टी0, कानपुर आदि के साथ समन्वय किया जाना बताया गया। व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास के संबंध मे बताया गया कि प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए सर्वे एवं स्थानीय माँग तथा आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ट्रेड्स का निर्धारण किया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 04 व्यवसायिक ट्रेड होंगे, जिसमें एक ट्रेड ओ0डी0ओ0पी0 (एक जनपद एक उत्पाद) के अन्तर्गत चयनित उत्पाद से सम्बन्धित कौशल का होगा। पार्ट टाइम शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी।

यह भी कहा कि रोजगार कौशल को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों, प्रशिक्षिकों और अभिभावकों में जागरुकता हेतु कैरियर काउसिंल की व्यवस्था की जायेगी, जिसके लिए पी0पी0पी0 मॉडल का उपयोग किया जायेगा। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के संबंध में ड्रापआउट रोकना, उपचारात्मक शिक्षा का विशेष प्रबन्ध तथा बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराते हुए समय–समय पर प्रोत्साहन तथा बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु चिन्हित करते हुए आर्थिक मदद की जायेगी। विशेष तकनीकी सपोर्ट कार्यक्रम सम्मिलित किये जायेंगे। शिक्षा में तकनीकी के उपयोग हेतु प्रत्येक विद्यालय की अपनी वेबसाइट पेज, ऑनलाइन मंच, डाटा प्रबन्धन प्रणाली आदि की व्यवस्था की जायेगी।

विद्यालयों की संकुल व्यवस्था तथा कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेन्स हेतु एक निजी एवं एक सार्वजनिक विद्यालय की (Pairing/Twinning) पॉयलेट के रूप के किये जाने की बात बतायी गयी।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान हेतु "मिशन प्रेरणा" के प्राथमिक विद्यालयों के समस्त छात्र–छात्राओं द्वारा बुनियादी साक्षरता एवं अंकगणितीय कौशल प्राप्त किये जाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कक्षा–कक्षों के रूपान्तरण हेतु प्रिन्ट–रिच मैटेरियल की व्यवस्था तथा बेस्ट क्लासरूम प्रैक्टिसेज़ के लिए आधारशिला, ध्यानाकर्षण माड्यूल विकसित किये गये हैं। इसी के साथ ही पेडागोजिकल तकनीकी और स्कूल लीडरशिप गाइडल का समावेशन कर शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका विकसित की गयी है।

प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु बेसिक शिक्षा एवं आई0सी0डी0एस0 के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए पूर्व प्राथमिक के बच्चों की उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है। बेसिक शिक्षा विभाग एवं आई0सी0डी0एस0 के मध्य समन्वय स्थापित कर विभिन्न मॉडल पर कार्य किया जा रहा है।

बैठक में यह भी अवगत कराया कि ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करने तथा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक शत–प्रतिशत जी0ई0आर0 प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। शारदा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 03 लाख से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराया गया। समतामूलक और समावेशी शिक्षा हेतु समर्थ पोर्टल के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की ट्रेकिंग कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की कार्यवाही गतिमान है।

स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस हेतु 21,000 विद्यालयों से अधिक एक ही परिसर में स्थिति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया गया है। स्कूली शिक्षा के लिए regulations में आवश्यक संशोधन के दृष्टिगत विद्यालयों की मान्यता की प्रणाली को ऑनलाइन एवं ऑटोमेटेड करने की कार्यवाही की जा रही है। पाठ्य-पुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था में आवश्यक सुधार के लिए समिति का गठन की कार्यवाही गतिमान है।

तकनीकी का प्रयोग और बढ़ावा देने हेतु तकनीकी फ्रेमवर्क के माध्यम से तकनीकी आधारित नियोजन एवं अनुश्रवण पर विशेष बल दिया गया है, जिसके अन्तर्गत मोबाइल ऐप आधारित सपोर्टिव सुपरविजन एवं प्रत्येक छात्र के अधिगम स्तर का डाटा संकलित करना, दीक्षा ऐप के माध्यम से उच्च कोटि की शैक्षणिक सामग्री के लगभग 5000 वीडियोज़ उपलब्ध कराना तथा वर्ष 2021 तक सभी विद्यालयों में स्मार्ट टी0वी0 उपलब्ध कराकर डिजिटली समर्थ बनाने की कार्ययोजना है। शिक्षक और शिक्षक की शिक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा एन0पी0एस0टी0 के मानक अधिसूचित किये जाने के उपरान्त प्रदेश में अंगीकृत किया जाना बताया गया। यह भी बताया गया कि प्रदेश में गत वर्षों से परिषदीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षकों की ही तैनाती की जा रही है।

मा0 उप मुख्यमंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि टास्क फोर्स की बैठकों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के सम्बन्ध में जो मार्ग-दर्शन व निष्कर्ष निकलेगा, उसे राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा। मा0 उप मुख्यमंत्री जी द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की आगामी बैठक दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 को अपरान्ह 03:00 बजे होगी, जिसमें सदस्यगण अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण तैयार कर बैठक में व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करेंगे।

अन्त में धन्यवाद-ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
सदस्य-सचिव

पृ0सं0:स0शि0/नियो0/एन0ई0पी0-टा0फो0(कार्यवृत्त)/ 5042/2020-21 दिनांक: 09 अक्टूबर, 2020

1. निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रो0 गिरीश चन्द्र त्रिपाठी, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. श्री अनिल स्वरूप, पूर्व सचिव, भारत सरकार।
9. श्री अशोक गांगुली, पूर्व अध्यक्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
10. डॉ0 विनय पाठक, कुलपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, लखनऊ।
11. श्री वाचस्पति मिश्र, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश।
12. श्री बी0पी0 खण्डेलवाल, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक।
13. श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक।

14. प्रो0 अरविन्द मोहन, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

15. डॉ0 निशी पाण्डेय, अंग्रेजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

16. प्रो0 अब्बास रज़ा नैय्यर, उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

17. प्रो0 सदानन्द प्रसाद गुप्त, कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
सदस्य–सचिव

दिनांक 28.10.2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में गठित टास्क फोर्स की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक/व्यवसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग को सम्मिलित करते हुए डॉ0 दिनेश शर्मा, मा0 उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की तृतीय बैठक दिनांक 28.10.2020 को सचिवालय स्थित मुख्य भवन, सभाकक्ष संख्या–80 में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित टास्क फोर्स के नामित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. प्रो0 गिरीश चन्द्र त्रिपाठी, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद।
2. सुश्री एस0 राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग।
3. श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. श्रीमती आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
5. डॉ0 विनय पाठक, कुलपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. श्री वाचस्पति मिश्र, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश ।
7. श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक।
8. प्रो0 अरविन्द मोहन, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. प्रो0 निशी पाण्डेय, अंग्रेजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10. प्रो0 अब्बास रज़ा नैय्यर, उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
11. श्री विजय किरन आनन्द, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

जूम ऐप के माध्यम से प्रो0 बी0पी0 खण्डेलवाल, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा प्रतिभाग किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के टास्क फोर्स की तृतीय बैठक के प्रारम्भ में मा0 उप मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के साथ प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम मा0 उप मुख्यमंत्री जी द्वारा उपस्थित समिति के समस्त सदस्यों का अभिवादन करते हुए उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा एन0आई0सी0 के सहयोग से विकसित उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी तथा प्रदेश के निजी कॉलेजों को ऑनलाइन एन0ओ0सी0 शैक्षिक सत्र 2020–21 से तथा निजी कॉलेजों को ऑनलाइन सम्बद्धता शैक्षिक सत्र 2021–22 से शुभारम्भ किये जाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया गया।

मा0 उप मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी की महत्ता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि छात्रों के हित में ई–कंटेन्ट को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों द्वारा अधिक से अधिक ई–कंटेन्ट उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को ऑफलाइन माध्यम के अतिरिक्त गुणवत्तायुक्त ऑनलाइन पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना है जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन किये जाने के स्थान पर ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण में समन्वय स्थापित किया जा सके। अद्यतन 25 विश्वविद्यालयों एवं 37 महाविद्यालयों द्वारा यू0जी0 एवं पी0जी0 के 50 पाठ्यक्रमों में लगभग कुल 35,000 ई–कंटेन्ट की गुणवत्ता की परख कर अल्प समय में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाईब्रेरी पर अपलोड किया जा चुका है तथा इसे लगभग 57,000 छात्र–छात्राओं द्वारा एक्सेस किया गया है। निःसंदेह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को गुणवत्तायुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराये जाने की दिशा में शिक्षकों का सराहनीय प्रयास है। समस्त शिक्षकगण इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

मा0 उप मुख्यमंत्री जी ने शैक्षिक सत्र 2020–21 से निजी कॉलेजों को ऑनलाइन एन0ओ0सी0 दिये जाने तथा शैक्षिक सत्र 2021–22 से निजी कॉलेजों को ऑनलाइन सम्बद्धता प्रदान किये जाने की व्यवस्था पर उच्च शिक्षा विभाग की सराहना की। उन्होंने अवगत कराया कि एन0ओ0सी0 तथा सम्बद्धता ऑनलाइन किये जाने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता बनी रहेगी तथा अल्पसमय में कार्यों को नियमानुसार एवं शुचिता के साथ पूर्ण किया जा सकेगा। निःसंदेह उच्च शिक्षा के उन्नयन

एवं गुणवत्ता की दिशा में उच्च शिक्षा विभाग का अत्यन्त सराहनीय प्रयास है।

श्रीमती मोनिका एस0गर्ग, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निम्नवत् अवगत कराया गया:–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उच्च शिक्षा में क्रियान्वयन हेतु 17 वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया। विभिन्न उप विषयों पर चर्चा हेतु सप्ताह में सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ऑनलाइन बैठकें आयोजित की जाती हैं।
2. अद्यतन कुल 21 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। बैठकों के माध्यम से प्रत्येक वर्किंग ग्रुप राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। प्राप्त विचारों के आधार पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को लागू किए जाने हेतु कार्यों को तीन चरणों में विभाजित किया गया है:–
   - अल्पकालिक सुधार (शार्ट टर्म)
   - मध्यकालिक सुधार (मीडियम टर्म)
   - दीर्घकालिक सुधार (लांग टर्म)

   शार्ट टर्म में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को क्रियान्वित करने हेतु वर्तमान में निर्णय/कार्य किए जा रहे हैं। एम0फिल0 को समाप्त करने, पाठ्यक्रम पुनर्गठन, क्रेडिट की हस्तांतरणीयता, अकादमिक क्रेडिक बैंक, मूल्यांकन की विधि, कौशल विकास एवं उद्योग के साथ गठजोड़, शिक्षकों के री–स्किलिंग/पुनः प्रशिक्षण जैसे कार्यों हेतु शासन द्वारा परिपत्र जारी किए जा रहें है।

   मीडियम टर्म में जी0ई0आर0 को बढाना, समानता और समावेश–विशेष बच्चों के लिए विशेष प्रयास, मेंटरिंग एवं करियर काउंसलिंग, शोध एवं अनुसंधान, नवाचार को प्रोत्साहन एवं संस्थागत विकास योजना पर कार्य किए ज़ा रहें हैं।

   लांग टर्म योजना के अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से सम्बद्धता प्रणाली को समाप्त करना तथा कालेजों को स्वायत्ता प्रदान करने, उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुक्रम में कार्यवाही की जाएगी।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 पर स्टीयरिंग कमेटी के वर्किंग ग्रुप द्वारा ऑनलाइन चर्चा के उपरान्त कमेटी द्वारा प्राप्त FAQs को विभागीय साइट पर अपलोड किया जा चुका है तथा विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी वेबसाइट पर FAQs को लिंक किया जा रहा है।
4. उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षा का प्रारम्भ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा माह–अगस्त, 2020 से प्रारम्भ है तत्संबंध में ऑनलाइन शिक्षा नीति की घोषणा शासन स्तर से शीघ्र की जाएगी।
5. Exit-Re-entry तथा Credit Transfer के संबंध में स्नातक/परास्नातक के विद्यार्थियों हेतु विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तिथिवार नीति का निर्धारण किया गया है।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप न्यूनतम साझा पाठ्यक्रम तैयार करने की कार्ययोजना उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालयों के समन्वय से तिथियों का निर्धारण किया गया है।
7. क्रेडिट स्कोर के हस्तान्तरण हेतु एन0आई0सी0 के सहयोग से अकादमिक डाटा बैंक जुलाई, 2021 तक तैयार किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय /महाविद्यालय द्वारा डाटा बैंक में फीडिंग एवं डाटा को डायनमिक करना है। अकादमिक डाटा बैंक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को भी अपडेट किया जाएगा।
8. प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में एल0एम0एस0, आई0डी0पी0, कौशल विकास एवं औद्योगिक, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठों की स्थापना की जाएगी।
9. वर्ष 2021–2022 तक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गयें है:–
   - I. परास्नातक स्तर पर नई संरचना लागू करने की तैयारी।
   - II. प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में इन्क्यूबेशन एवं इनोवेशन हब स्थापित करने हेतु योजना।
   - III. दूरस्थ क्षेत्रों में ई–लर्निंग पार्क/ई–सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु योजना।

10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी, पाठ्यक्रम विकास, अकादमिक डाटा बैंक एवं विभिन्न मुद्दों पर नीति निर्धारण करने के लिए आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक, सी0ई0आर0 के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।
11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु सहायता/अनुदान, पॉयलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कुछ महाविद्यालयों के पुस्तकालय हेतु प्रीलोडेड टैब उपलब्ध कराने हेतु ई–लर्निंग पार्क/ई–सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है।
12. ऑनलाइन शिक्षा के कार्यों हेतु निम्न कार्ययोजना तैयार की गयी है:–
    I. 2020–21 में डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन कक्षाएं, शिक्षक प्रशिक्षण, आधारभूत सुविधाओं का विकास आदि सम्मिलित किए गए हैं।
    II. 2021–23 के मध्य ई–सुविधा केन्द्रों, ऑनलाइन कक्षा एवं परीक्षा, सोलर ग्रिड एवं इंटरनेट–कनेक्टीविटी, अकादमिक डाटा बैंक, प्रीलोडेड टैबलेट की उपलब्धता आदि प्रमुख हैं।
    III. 2023–25 के मध्य सभी संस्थानों में वर्चुअल लैब्स की स्थापना, उच्च शिक्षण संस्थानो का पूर्ण डिजिटलीकरण एवं इको–फ्रैन्डली कैम्पस की स्थापना की जानी है।
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत विद्यार्थियों को गुणवत्ता एवं रोजगारपरक उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु संस्थान मूल्यांकन, शिक्षक मूल्यांकन एवं छात्र मूल्यांकन जैसी प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं।
14. शिक्षकों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने हेतु उनके कार्यों के आधार पर इंसेंटिव, प्रमोशन एवं पनिशमेन्ट प्रक्रिया को अपनाए जाने पर विचार किया जा रहा है।
15. विद्यार्थियों के कौशल विकास के साथ–साथ जीवन कौशल आधारित शिक्षा पर भी कार्य किया जा रहा है।
16. जी0ई0आर0 में अभिवृद्धि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। वर्तमान में 26 प्रतिशत जी0ई0आर0 को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए संस्थानों का प्रभावी नेतृत्व एवं प्रशासन, बहुसंकाय महाविद्यालय, सक्षम एवं प्रेरित शिक्षक, संस्थान पुनर्गठन, समावेश और इक्विटी, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष प्रयास, जेंडर इंक्लूजन फंड तथा बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान कर जी0ई0आर0 में अभिवृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
17. उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में दिव्यांगजन हेतु ई–कन्टेन्ट विकसित किए जाने के सम्बन्ध में दिव्यांगजन विभाग से वार्ता की जा रही है।
18. समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में पार्ट टाइम रिसर्च एंड इनोवेशन क्रियान्वित किए जाने के संबंध में प्रयास किया जा रहा है।
19. प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट मेंटरिंग एवं करियर काउंसलिंग के संबंध में शासन द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे।

प्रो0 निशी पाण्डेय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं की उन्नति के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया। महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि:–

1. ध्यान केन्द्रित करने के क्षेत्र:–
    I. भारतीय साहित्य एवं समद्ध भाषाओं के संकलन जिसमें लोक–साहित्य भी समाहित हो, को संरक्षित करने की आवश्यकता पर।
    II. भारत के विविध भाषाओं के मूल साहित्य से अन्य भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले अकादमिक साहित्य एवं पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद की आवश्यकता पर।
    III. समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को समृद्ध करने के लिए एक पृथक संकाय के निर्माण की आवश्यकता पर।

IV. भारतीय भाषाएं, साहित्य, भाषा शिक्षा तथा उनसे संबंधित सांस्कृतिक क्षेत्र को एन0आर0एफ0 द्वारा वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर।
V. पालि, फारसी तथा प्राकृत जैसी भाषाओं की उन्नति की आवश्यकता पर।
VI. भारतीय संविधान के अध्याय–22 पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भाषाओं के संबंध में क्षेत्रीय निकायों और अकादमी की आवश्यकता पर।
VII. समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों को कम से कम तीन भारतीय भाषाओं तथा एक स्थानीय भारतीय भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर।

2. भाषाओं के संवर्द्धन एवं सुदृढीकरण हेतु कार्ययोजनाः–
- शार्ट टर्म (2021–22)
  I. समस्त विश्वविद्यालयों में भाषा से संबंधित सृजित पदों पर नियुक्ति।
  II. जिन उच्च शिक्षण संस्थानो में न्यूनतम 10 भाषाएं पढ़ाई जा रहीं है, ऐसे संस्थानो को सांस्कृतिक ग्रंथ का केन्द्र, भारतीय साहित्य के संरक्षण एवं अनुवाद करने के लिए राज्य द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेस स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
  III. समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्तर्विभागीय भाषा केन्द्र तैयार करने की आवश्यकता है। जिस हेतु राज्य सरकार को समस्त संस्थानों को प्राथमिक आधारभूत सुविधा एवं पब्लिकेशन, अनुवाद के कार्यों हेतु तथा शिक्षकों की क्षमता अभिवृद्धि के संबंध में कार्यशाला एवं उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी की भांति एक प्लेटफार्म प्रदान करने की आवश्यकता है। जिसमें समस्त अनुवादित अभिलेखों को अपडेट कर वैश्विक स्तर पर भारतीय भाषाओं का प्रचार–प्रसार किया जाए।
- लांग टर्म (2021–25)
  I. ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ में निम्नलिखित विभाग विकसित किए जाने चाहिएः–
     (a) Department of Sanskrit, Pali and Prakrit.
     (b) Department of Modern Indian Languages.
     (c) Centre for Translation of Indian Literatures.
     (d) Centre for Cultural Studies, Texts and Records.
- लांग टर्म (10+ वर्ष)
  I. समस्त विश्वविद्यालयों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मॉडल पर आधारित केन्द्रों को विकसित करने की आवश्यकता है। इन केन्द्रों में भारतीय भाषाओं में मूल ग्रंथ, कहानियों की पुस्तकें तथा अन्य अकादमिक सामग्री उत्पन्न की जाय।
  II. समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के अतिरिक्त कम से कम तीन भारतीय भाषाओं के विभाग विकसित किए जाय।
  III. समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों विशेषकर राजकीय महाविद्यालयों में भारतीय भाषाओं तथा साहित्य के विभागों को सहायता एवं प्रोत्साहित किया जाय।
  IV. उ0प्र0 राज्य की अल्पसंख्यक क्षेत्रीय भाषाओं को अकादमिक स्तर पर स्थापित कर प्रोत्साहित किया जाय।

प्रो0 अरविन्द मोहन, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि:–

1. वर्तमान स्थिति में समस्त विश्वविद्यालयों में एक्जीक्यूटिव काउन्सिल संस्थान से संबंधित समस्त वित्तीय प्रशासनिक और अकादमिक प्रकरणों का संचालन एवं दिशा–निर्देश निर्गत करती है।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की अपेक्षा के अनुरूप समस्त विश्वविद्यालयों में शासन/प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण हेतु बोर्ड ऑफ गवर्नेन्स की अत्यधिक आवश्यकता है जो कि एक्जीक्यूटिव काउन्सिल का निर्देशन करेगी।
3. बोर्ड ऑफ गवर्नेन्स में राज्य सरकार द्वारा नामित एक तिहाई सदस्य, महामहिम राज्यपाल द्वारा नामित एक तिहाई सदस्य तथा एक्जीक्यूटिव काउन्सिल द्वारा नामित एक तिहाई सदस्य होंगे।

4. बोर्ड ऑफ गवर्नेन्स के कार्यः–

I. विश्वविद्यालयों की प्रधान समितियों की स्थापना।
II. कुलपति एवं अन्य समुचित कार्मिकों का चयन/नियुक्ति।
III. सर्विस एवं रेगुलेशन निर्मित करना।
IV. स्टेट्यूट्स में पारदर्शिता।
V. विश्वविद्यालयों के विकास के लिए शार्ट/मीडियम एवं लांग टर्म आधारित कार्ययोजना निर्मित करना।
VI. आई0डी0पी0 का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
VII. उच्च शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए गुणवत्तापरक एवं मात्रात्मक पैरामीटर निर्धारित कर कार्ययोजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
VIII. शिक्षा के विकास से संबंधित लक्ष्य निर्धारण।
IX. शोध हेतु वित्तीय सहायता के स्त्रोत उत्पन्न करना।

व्यवसायिक शिक्षा विभाग एवं कौशल विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में निदेशक, कौशल मिशन द्वारा प्रस्तुतीकरण कर अवगत कराया गया कि औपचारिक शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत कर समावेशी शिक्षा पाठ्यक्रम विकसित किये जाने पर बल दिया गया। स्कूल स्तर से ऊपर व्यवसायिक शिक्षा को एक विषय के रूप में प्रस्तुत करना आकांक्षात्मक बनाता है। व्यवसायिक शिक्षा की पुर्नकल्पना कर आवश्यक विषय का क्षमता का पाठयक्रम विकसित किया जाना है। उक्त अवधारणा के credit के लिए हस्तान्तरण प्रणाली विकसित की जाय।

शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा को माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर तथा कालेज/विश्वविद्यालय स्तर पर एकीकरण किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में Hub & Spoke model के कार्यों पर प्रकाश डाला गया। औपचारिक शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा के एकीकरण में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–6 से 8 तक) में 10 दिन तक बिना स्कूल बैग की व्यवस्था, आस–पास के परिवेश में उपलब्ध विभिन्न कौशल का परिचय प्रदान किया जाना, औपचारिक शिक्षकों के द्वारा एक्सपोज़र विज़िट करना, औपचारिक पाठ्यक्रम या प्रमाणन आदि के सम्बन्ध में बताया गया।

व्यवसायिक शिक्षा के साथ औपचारिक शिक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आई0टी0आई0 एवं पॉलीटेक्निक की व्यवस्था है। कौशल मिशन द्वारा निम्नलिखित मॉडल प्रस्तावित किये गयेः–

1. आई0टी0आई0 में छात्रों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के औपचारिक शिक्षा विषय उपलब्ध हैं।
2. पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए उपलब्ध प्रथम वर्ष का औपचारिक शिक्षा विषय
3. संविदा शिक्षकों को शिक्षा विभाग (माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/उच्च शिक्षा) द्वारा आईटीआई और पॉलिटेक्निक (चुना विषय में) उपलब्ध कराया जाना है।
4. आईटीआई और पॉलिटेक्निक में प्रदान की जाने वाली 80% कक्षा–कक्ष में सीखना। स्मार्ट क्लास का उपयोग करके 20% ऑनलाइन सिखाना। (सेटअप के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था)
5. संबंधित शिक्षा विभाग द्वारा औपचारिक विषय में परीक्षा और प्रमाणन आदि।

प्रो0 बी0पी0 खण्डेलवाल, पूर्व शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में बेसिक, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा पर कई अग्रगण्य कार्यक्रम अपनाए गये हैं। उक्त से प्राप्त अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित बिंदु विचारार्थ रखे गयेः–

- उच्चतम स्तर पर प्रदेश शासन में सम्बन्धित विभागों का कार्यकारी समन्वयन आवश्यक होगा। प्रत्येक जनपद में वर्तमान और भविष्य के लिए सर्वेक्षण द्वारा वर्तमान समय की आवश्यकता और आने वाले नए व्यवसाय की अनुमानित संख्या का आकलन हो। माँग के अनुसार सम्भव छेत्र में पूर्ति पर आगे कार्य हो। नोडल एजेन्सी रोजगार कार्यालय बने, रोजगार के साथ स्वरोजगार पर भी विद्यालय/संकुल को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव दें।

- एक जनपद में एक या कई ट्रेड अलग–अलग संख्या के लिए चिन्हित किये जाएँ। स्थानीय ट्रेड में कार्यरत परिवार और कर्ताओं का लाभ लिया जाय। कृषि, चिकित्सा सेवाएँ, आटोमोबाइल, सेवा सत्कार, तकनीकी, मीडिया, प्रकाशन आदि नए शेत्र भी नए कौशल सेवाओं की माँग करेंगे। अतः सांदर्भिक ट्रेड की स्वीकार योग्य स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा दी जानी होगी।
- विद्यालय पाठ्यक्रम में तदनुसार 30% आधारित विषय शिक्षा और 70% व्यवसायिक अंश हो। एक कमेटी बना दी जाय ताकि पाठ्यक्रम सम्बंधित ट्रेड के पढ़ाने, कार्यानुभव, अप्रेंटिस् और रोजगार में लगने की व्यवस्था का निर्माण और क्रियान्वयन की व्यवस्था हो सके। राज्य की स्टैंडिंग कमेटी राज्य स्तरीय प्रयोजना, समन्वयन, क्रियान्वयन, रोजगार स्वरोजगार व्यवस्था आदि और वित्तीय प्रबन्धन के लिए अधिकृत हो।
- राज्य कमेटी केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, विशिष्ट संस्थान यथा राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान को आमंत्रित करें अथवा राज्य अधिकारियों को नामित करेगी ताकि सतत सम्पर्क बने और राज्य से राष्ट्र तक समस्त स्तरों पर इन छात्रों को लाभान्वित कराया जा सके। शिक्षा मंत्रालय (मा०) नोडल प्रभारी हों। शिक्षा विभाग को कार्य के निष्पादन के लिए स्टाफ एवम् अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, पूर्व शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है, बच्चा आत्मनिर्भर हो, यह ध्यान में रखना होगा। कक्षा–6 से 8 तक के छात्र–छात्राओं को कार्यानुभव (work experience) दे सकते हैं। कौशल को Job requirement से लिंक किया जाय। जनपद स्तर पर स्किल डेवेलपमेण्ट प्लान तैयार किये जाने की आवश्यकता है। स्किल के चयन का निर्णय विद्यालयों द्वारा लिया जाय।

प्रो0 गिरीश चन्द्र त्रिपाठी, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा रोजगारपरक शिक्षा पर जोर देने के लिए शिक्षा के सभी विभागों को एक मंच पर आने पर सुझाव दिया गया। इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा विभाग मिलकर समेकित रोजगार शिक्षा की आधारशिला तैयार करें।

डॉ0 विनय पाठक, कुलपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा तकनीकी शिक्षा पर प्रस्तुतीकरण कराया गया तथा यह बताया गया कि सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाया जा सकता है। भारत में केवल विचार में ही नहीं आत्मा, बुद्धि और कर्मों में ही एक गहन गर्भ है। नयी शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त पर निम्नवत् प्रकाश डाला गयाः–

- शैक्षिक और गैर–शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के साथ–साथ माता–पिता द्वारा प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को पहचानना, और बढ़ावा देना।
- लचीलेपन, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने की गति और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें।
- सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने हेतु बहु–विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला मानविकी और खेल में बहु–विषयक और एक समग्र शिक्षा हो।
- वैचारिक समझ पर जोर देना, बजाय इसके कि सीखने और सीखने के लिए रटते रहें।
- तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच।
- नैतिकता और मानव और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक स्वभाव, स्वतंत्रता जिम्मेदारी, बहुलवाद, समानता और न्याय।
- शिक्षण और सीखने में बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति को बढ़ावा देना।
- संचार, सहयोग, टीम वर्क और लचीलापन जैसे जीवन कौशल।

- आज के 'कोचिंग कल्चर' को प्रोत्साहित करने वाले योगात्मक आकलन के बजाय सीखने के लिए नियमित रूप से मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करें।
- शिक्षण और सीखने, भाषा की बाधाओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए बढ़ती पहुँच और शैक्षिक योजना और प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग।
- सभी पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ के लिए विविधता और सम्मान के लिए सम्मान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है।
- पूर्ण इक्विटी और समावेश सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में पनप पाने में सक्षम हैं।
- बचपन की देखभाल और शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल।
- स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार और आउट–ऑफ–द–बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करते हुए ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक 'light but tight' नियामक ढांचा।
- उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए अपेक्षित सह के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान।
- शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की निरंतर समीक्षा।
- भारत में एक जड़ता और गौरव, और इसकी समृद्ध, विविध, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणाली और परंपराएं।
- शिक्षा सार्वजनिक सेवा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार माना जाना चाहिए।
- एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के साथ–साथ सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी के प्रोत्साहन और सुविधा में पर्याप्त निवेश।

उक्त के अतिरिक्त Transforming Curricular & Pedagogical Structure, Innovative Pedagogy, Transforming the culture of assessment, Empowering Teachers, School Leadership, Focus on Socio-Economically Disadvantageed Groups, Online & digital Education, Timeline for Implementation in NEP 2020 के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया।

मा0 अध्यक्ष जी द्वारा सुनिश्चित किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की आगामी बैठक दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 को अपरान्ह् 03:00 बजे आयोजित की जाएगी। यह भी अपेक्षा की गई कि पुनः बोर्ड ऑफ गवर्नेन्स के विषय पर तथा टास्कफोर्स के अन्य सदस्य जिनका प्रस्तुतीकरण नहीं हुआ है, वह सदस्यगण अपने विभाग से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण तैयार कर आगामी बैठक में व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करेंगे।

अन्त में धन्यवाद–ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
सदस्य–सचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या– 5607 /सत्तर–3–2020–08(35)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक 03 दिसम्बर, 2020**

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिपेक्ष्य में प्रत्येक संस्थान द्वारा विद्यार्थियों की क्षमताओं की अभिवृद्वि के लिये आवश्यक नए पाठ्यक्रम को निर्धारित/क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव।

महोदय,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 मे उल्लिखित समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की क्षमताओं की अभिवृद्वि के लिये नए पाठ्यक्रमों को विकसित करना तथा विद्यार्थियों को नवीन/आधुनिक तकनीकी ज्ञान, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा, और मूल्य–आधारित शिक्षा को भी सम्मिलित करना समीचीन होगा। उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाने एवं भारतीय संस्कृति/दर्शन को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता के दृष्टिगत समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नवीन विषयों तथा आधुनिक तकनीकी ज्ञान पर आधारित विषयों को सम्मिलित किया जा सकता है।

2– इस परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जा सकता है :–

- **अनिवार्य पाठ्यक्रम :–**
  (1) मूल्य परक शिक्षा (नैतिक शिक्षा)
  (2) स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता
  (3) कम्प्यूटर/डिजिटल जागरूकता
  (4) कम्यूनिकेशन स्किल्स (संचार कौशल) एवं व्यक्तित्व विकास

- **ऐच्छिक माइनर पाठ्यक्रम** जैसे आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस, मीडिया अध्ययन, बिग डाटा एनालिसिसि, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लिबरल क्रिएटिव आर्ट, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, न्यूरो साइंस, 3–डी प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग, सांख्यिकी, पर्यावरण शिक्षा, व्यवहारिक विज्ञान, पुरातत्व कलाकृति संरक्षण, भारतीय विद्या/लोक विद्या, अनुवाद और विवेचना, संग्रहालय प्रशासन, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, भाषा सम्बन्धी शिक्षा, सामुदायिक सेवा परियोजना, फार्मेसी, कैटरिंग, मीडिया स्टडीज आदि।

Nikhil G.O.

समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों को वर्तमान समय के अनुसार विद्यार्थियों को अपग्रेड करने हेतु प्रयास करने होंगे। 'डिजिटल इण्डिया' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। इसके अतिरिक्त, आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलुओं पर मिलकर एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। रोबोटिक्स, वर्चुअल रियल्टी, क्लाउड टेक्नॉलॉजी, बिग डेटा, मशीन लर्निंग आदि अन्य विषय वर्तमान समय की मांग हैं।

3– इसके अतिरिक्त, समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों को कौशल विकास, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा, और मूल्य–आधारित शिक्षा एवं आधुनिक कोर्सेस के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक सेमेस्टर में प्रायोगिक कार्य निर्धारित किये जाने चाहिए तथा सप्ताह में एक दिन विधार्थियों को इस प्रकार के कार्यों में यथासंभव संलग्न करना चाहिए।

4– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालयों में विशेष सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (CoEs) की स्थापना की जानी चाहिए, जिसके माध्यम से नए विषयों एवं व्यावसायिक विषयों के पाठ्यक्रम का विकास प्रयोगात्मक शिक्षण/अनुभव के आधार पर किया जा सके। हर संस्थान को प्रयास करना चाहिए कि वह किसी न किसी क्षेत्र में Peak of Excellence बन सके।

5– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय स्तर से विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में उपरोक्तानुसार क्रियान्वयन करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की आख्या शासन को मासिक रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–5607 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांक:

1– समस्त कुलपति राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन के संबंध में सभी संबंधित को मार्गदर्शन देते हुये उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Nikhil G.O.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : गोप0/357
दिनांक : 26/4/22

विज्ञप्ति

एतद्‌द्वारा समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि :–

(अ) रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विश्वविद्यालय के अध्यादेश दिनांक 17.12.2021 के बिन्दु संख्या 5.1 में उल्लेख है कि अन्य प्रकार के कोर्सस्/पेपर्स के साथ कौशल विकास कोर्स की आन्तरिक परीक्षा 25 अंकों की होगी।

(ब) इसी प्रकार विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 24.01.2022 में रोजगार परक पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 4.1 में भी आन्तरिक व बाह्य परीक्षा के पूर्णांक क्रमशः 25 एवं 75 अंकित होने का उल्लेख है।

2. उक्त दोनों बिन्दुओं (अ) एवं (ब) में रोजगार परक पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में निहित व्यवस्था के स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा निम्न प्रावधान किये गये हैं :–

चार कौशल विकास कोर्स (Skill development/Vocational courses) भी Credit course हैं तथा इनके उत्तीर्णांक भी 40% ही होगें। शासनादेश संख्या 2058/सत्तर-3-2021-08(33)-2020 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा। जिनमें से **प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। उल्लेखनीय है कि चारों कौशल विकास कोर्स में आन्तरिक परीक्षायें सम्पन्न नहीं करायी जायेंगी।** कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे। प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग–अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

3. उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति संख्या–परीक्षा/5779, दिनांक 14.02.2022 के बिन्दु संख्या–6 में उल्लेख है कि :–

"Vocational/Skill Development विषयों की परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा न करवाकर सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा करवाया जायेगा। **ऐसे छात्र/छात्रा जिनको Skill Development पाठ्यक्रम में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, की उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में भेजना अनिवार्य होगा।**"

इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अर्थात यह यथावत् लागू रहेगी।

4. अतः समस्त महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक से अनुरोध है कि **बिन्दु–2 में अंकित व्यवस्था के अनुसार Vocational/Skill Development विषयों की परीक्षाओं का आयोजन कर अंक विश्वविद्यालय के ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें तदनुसार ही ऑनलाईन पोर्टल अपडेट कर दिया गया है।**

5. उक्त के अतिरिक्त जिन छात्र/छात्राओं को बिन्दु–3 में अंकित नियमानुसार उक्त विषय में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं उन छात्र/छात्राओं का विवरण अंकित करते हुए उनकी प्रयोगात्मक एवं सैद्धान्तिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका एवं उनका विवरण विश्वविद्यालय के उत्तर पुस्तिका अनुभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे उन छात्र/छात्राओं की उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा संरक्षित की जा सके तथा अन्य छात्र/छात्राओं की उत्तर पुस्तिकायें सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अनुरक्षित की जायेंगी।

26/04/2022

परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि :–

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, प्रति कुलपति को प्रति कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियन्त्रक को परीक्षा नियन्त्रक महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र को सूचनार्थ।
6. प्रभारी, वेबसाईट चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
7. प्रेस प्रवक्ता को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में आने वाले जिलों के सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

सहा0 कुलसचिव (गोपनीय)

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध।
संख्या–142 /सत्तर–3–2021–08(35)/2020टी.सी.1

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2– **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः 15 जनवरी, 2021**

विषयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी एवं समयबद्व क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार प्रकोष्ठों की स्थापना कर नीति में दिये गये प्रावधानों के अर्न्तगत उनका संचालन सुनिश्चित किया जाये। अनुरोध है कि सभी प्रकोष्ठों की स्थापना, संरचना एंव उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करें तथा अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 142 (1)/सत्तर–3–2021–तद्दिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

Nikhil G.O.

कमांक	प्रकोष्ठ का नाम	कार्य
1	उद्योग–अकादमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ (Industry-Academia Integration and Skill Development Cell)	• माध्यमिक, पोलीटैक्निक, आई.टी.आई के साथ उच्च शिक्षा का समन्वय स्थापित करना • व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के क्षेत्रों की पहचान करना • व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के प्रायोगिक भाग/इंर्टन्शिप के लिये MoU करना • कौशल विकास के लिये स्थानीय उद्योगों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करना • स्थानीय व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के क्षेत्रों से छात्रों को अवगत कराना • छात्रों को आनलाईन व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा कोर्स करने के लिये मदद करना • क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर MoU करना • क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं की पहचान कर अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंटर्नशिप हेतु उनमें भेजना • संस्था के समझौता–ज्ञापन (MoU) का ड्राफ्ट तैयार करना • संस्था के हित में विभिन्न प्रकार के समझौता–ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना • समझौता–ज्ञापन (MoU) की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना
2	ऑनलाइन शिक्षा एवं LMS प्रकोष्ठ (Online Education and LMS Cell)	• संस्था में उ0प्र0 ऑनलाइन शिक्षा नीति के अनुरुप विभिन्न कार्य करना • विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से छात्रों को अवगत कराना तथा उसके लिये उन्हें प्रेरित करना • संस्था का LMS तैयार कर उसका संचालन सुनिश्चित करना • संस्था के समस्त कार्यालयी कार्यो को डिजिटल माध्यम से कराना • पुस्तकालय में प्री–लोडेड टैब्स उपलब्ध करवाना • संस्थान में ई–लर्निग पार्क की स्थापना करवाना • अपने क्षेत्रान्तर्गत अथवा संस्था के अंदर पी.पी.पी के आधार पर ई–सुविधा केन्द्र की स्थापना करना जिससे छात्रों को न्यूनतम दर पर 24x7 कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके • ई–सुविधा केन्द्र के विभिन्न कार्यो की दर सुनिश्चित करना (कैन्टीन की तरह) जिससे छात्रों को शोषण से बचाया जा सके • ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के क्रेडिट ट्रांसफर में छात्रों की मदद करना
3	शिक्षक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ (Teachers' Re-skilling Cell)	• शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का वार्षिक कैलेण्डर तैयार कराना • शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना • शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं

Nikhil G.O.

		अर्न्तराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से अवगत कराना • भविष्य में प्रयोग होने वाली शिक्षण तकनीकी से शिक्षकों को अवगत कराना
4	अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (Research Development cell)	• उच्च गुणवत्ता के शोध हेतु दिशा–निर्देश तैयार करना • शिक्षकों/विद्यार्थियों को शोध योजना बनाने में मदद करना • विभिन्न प्रकार की शोध अनुदान योजनाओं से शिक्षकों/विद्यार्थियों को अवगत कराना • शोध हेतु उद्योगों/अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ अनुबन्ध करना • राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय शोध करना • शोध हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना
5	संस्थागत विकास योजना प्रकोष्ठ Institutional Development Plan (IDP) Cell	• संस्था के लघु एवं दीर्घ उद्देश्यों (Annual, Five year plan upto15 years) पर आधारित " संस्थागत विकास योजना" तैयार करना • संस्था की IIC स्थापित करना • भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरुप संस्था का IIC पर पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा उसके अनुरुप कार्य करना • संस्था का ARIIA में प्रतिभाग सुनिश्चित करना • संस्थान, शिक्षक एवं छात्र मूल्यॉकन के लिये नीति तैयार करना तथा उसके अनुरुप सतत् मूल्यांकन करना • संस्था का NIRF में प्रतिभाग कराना
6	एक्टिविटी क्लब (Activity-Club)	• संस्था में विभिन्न प्रकार की गतिविधियॉ आयोजित करना तथा संस्था के छात्रों को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित करना। • संस्था के छात्रों को सामुदायिक सेवा के लिये प्रेरित करना • सामुदायिक सेवा हेतु वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना • संस्थान द्वारा किसी गांव को गोद लेकर उसके विकास में मदद करना • पर्यावरण जागरुकता एवं संरक्षण अभियान चला कर विद्यार्थियों/स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुक करना • संस्था की वार्षिक ग्रीन आडिट रिपोर्ट तैयार कर उसे वेबसाईट पर प्रदर्शित करना • संस्था के अंदर पर्यावरण संरक्षण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अक्षय उर्जा, वर्मीकम्पोस्ट, जल संरक्षण, पेपर री–साईक्लिंग आदि) के उपाय करना • संस्था के विद्यार्थियों के लिये भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करना • विद्यार्थी भ्रमण के लिये विभिन्न सरकारी/गैर–सरकारी योजनाओं से छात्रों को अवगत कराना तथा उसका लाभ लेना

Nikhil G.O.

7	भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ (Indian Language, Culture and Arts Cell)	• क्षेत्रीय संस्कृति एवं कला की पहचान कर उन पर कार्यक्रम आयोजित करना • क्षेत्रीय संस्कृति एवं कला को पाठ्यक्रम से जोड़ना • क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति एवं कला महोत्सवों में छात्रों को प्रतिभाग कराना • क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति एवं कला महोत्सव आयोजित करना • भारतीय भाषा विकास क्लब की स्थापना करना तथा इससे विभिन्न भारतीय भाषा जानने वाले शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को जोड़ना • छात्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से सीखने में मदद करना
8	अंर्तराष्ट्रीय छात्र सहायता प्रकोष्ठ (International students Cell)	• अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों की सहायता करना • सरकार द्वारा अंर्तराष्ट्रीय छात्रों को दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराना • अध्ययन वीजा दिलाने में मदद करना • वेबसाईट पर अंर्तराष्ट्रीय छात्रों के लिये FAQ अपलोड कराना
9	दिव्यॉग सहायता एवं वंचित समूह सहायता योजना प्रचार–प्रसार प्रकोष्ठ Cell for differently abled students and SEDGs	• वंचित समूहों को संस्था की विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित करना • वंचित समूहों के लिये हेल्प–डेस्क की स्थापना करना • वंचित समूहों के लिये चल रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराना तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना • दिव्यॉगों के लिये हेल्प–डेस्क की स्थापना करना • संस्था में दिव्यॉग आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना • दिव्यॉगों के लिये आवश्यक कार्य कराने हेतु संस्था प्रमुख को अवगत कराना • दिव्यॉगों के लिये चल रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराना तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना
10	मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ (Mentoring and Counselling cell)	• संस्था के छात्रों के लिये मनोवैज्ञानिक परामर्श कार्यशालायें आयोजित करना • मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे छात्रों को मनोवैज्ञानिक मदद देना तथा उनके परिवार को अवगत कराना • प्रत्येक छात्र के लिये प्रवेश के समय एक शिक्षक को मेंन्टर नियुक्त करना • संस्था की मेंन्टर–मेंन्टी पॉलिसी तैयार करना • छात्रों को व्यवसायिक सहायता देना • छात्रों के व्यक्तित्व विकास में मदद करना • छात्रों में जीवन कौशल एवं व्यक्तित्व विकास के लिये कार्यक्रम आयोजित करना

Nikhil G.O.

शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–5806 / सत्तर–3–2020

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

3. **कुल सचिव,**
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

4. समस्त **क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2020**

विषयः–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत एकेडमिक डाटा बैंक पोर्टल में छात्र–छात्राओं / उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों / शासकीय / अशासकीय / निजी महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की आधारभूत सुविधाओं का डाटा अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एकेडमिक डाटा बैंक की स्थापना किया जाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। एकेडमिक डाटा बैंक में छात्रों के केडिट्स डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगे, जिसके आधार पर छात्र आसानी से एग्जिट–एन्ट्री की व्यवस्था अपना सकते हैं, छात्र–छात्राएं एक विश्वविद्यालय / कालेज से दूसरे विश्वविद्यालय / कालेज में भी प्रवेश ले सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत छात्रों को एक यूनिक आइडी प्रदान की जायेगी। एकेडमिक डाटा बैंक पोर्टल के माध्यम से छात्र, शिक्षक, कालेज और विश्वविद्यालय सभी आपस में जुड़े रहेंगे।

2– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत केडिट ट्रान्सफर को ध्यान में रखते हुए यदि कोई छात्र / छात्रा एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जाता है तब उसके केडिट्स डिजिटल फार्म में कलेक्ट होकर उस विश्वविद्यालय में ट्रान्सफर होंगे जहॉ वह फाइनल डिग्री प्राप्त करेगा। छात्र / छात्राएं अपनी सुविधानुसार विश्वविद्यालय का चयन कर सकते हैं इससे एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी आयेगी।

3– उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालय अपने संस्थान के छात्रों का डाटा स्वयं फीड करेंगे तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों का डाटा सम्बन्धित विश्वविद्यालय के द्वारा फीड किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक संस्थान को एक लॉगिन दिया जायेगा। संस्थानों / महाविद्यालयों द्वारा फीड डाटा को विश्वविद्यालय द्वारा अग्रसारित किया जायेगा। विश्वविद्यालय उक्त अग्रसारित डाटा को प्रमाणित करके एकेडमिक डाटा बैंक पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

4– एकेडमिक डाटा बैंक पोर्टल पर छात्र–छात्राओं / शिक्षकों / महाविद्यालय की सुविधाओं से सम्बन्धित डाटा उपलब्ध होगा।

Nikhil G.O.

5— एकेडमिक सत्र—2020—2021 का विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों का डाटा प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान द्वारा 15 फरवरी, 2021 तक फीड कर दिया जायेगा, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा 31.03.2021 तक एकेडमिक डाटा बैंक पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा।

6— शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के परिप्रेक्ष्य में क्लस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन के अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की सुविधाएं दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा प्राप्त की जा सकेंगी।

भवदीय,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।
3

Nikhil G.O.

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–2058/सत्तर–3–2021–08(33)/2020टी.सी.
लखनऊ:: दिनांक– 26 अगस्त, 2021

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्र मूल्यांकन एवं मूल्यांकन विधियों के सम्बन्ध में।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए छात्रों का समयबद्ध, सतत एवं पारदर्शी मूल्यांकन आवश्यक है, ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों के मूल्यांकन हेतु प्रणाली निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त नीचे उल्लिखित किए जा रहे है। ज्ञातव्य हो कि ये सिद्धान्त मात्र सांकेतिक/परिचायक (indicative) हैं। विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कृपया इन्हें ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर Academic Council, Executive Council आदि में गहन विचार–विमर्श करके छात्र मूल्यांकन के मानक और विधियाँ निर्धारित कर लें। Semester-end exam के अतिरिक्त continuous and comprehensive evaluation अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। किस मानक (parameter) को कितनी weightage दी जानी चाहिए, उसका आंकलन करने के लिए क्या प्रक्रिया एवं व्यवस्था बनायी जानी चाहिए, इन बिन्दुओं पर सक्षम प्राधिकारियों के स्तर पर चर्चा कर विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाना अपेक्षित हैं।

2. छात्र मूल्यांकन सतत, व्यापक एवं समग्र होना चाहिए। यह मूल्यांकन निम्न मानकों पर किया जा सकता है:–

i. शैक्षणिक मूल्यांकन (Academic assessment)
ii. कौशल मूल्यांकन (Skill assessment)
iii. शारीरिक मूल्यांकन (Physical assessment)
iv. व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality assessment)
v. बहिमुर्खी मूल्यांकन (Extracurricular assessment)
vi. स्वमूल्यांकन (Self assessment)

(i) **<u>शैक्षणिक मूल्यांकनः–</u>**

(क) सतत आंतरिक मूल्यांकनः (Continuous Internal Assessment)– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में छात्रों के सतत आंतरिक मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया है। आंतरिक मूल्यांकन में शैक्षणिक गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न कार्य कराए जाने चाहिए जिससे छात्रों का बहुमुखी विकास हो। उदाहरण के लिए project, seminar, role play, quiz, puzzle, test, pratical, survey, book review, student

parliament, screenplay, essay, exhibition, fair, educational, visit आदि कार्यो को सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है।

आंतरिक मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं/प्रतियोगिताओं/गतिविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें छात्र उपस्थिति (विशेषकर राष्ट्रीय पर्वों व अन्य महत्वपूर्ण दिवसों पर) एवं विभिन्न सामाजिक कार्यो में प्रतिभागिता आदि को सम्मिलित किया जा सकता हैं।

(ख) बाहरी मूल्यांकनः– बाहरी मूल्यांकन का कार्य सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) <u>कौशल मूल्यांकन :–</u>

कौशल से सम्बन्धित विषय का मूल्यांकन सम्बन्धित उद्योग तथा उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। चूँकि कौशल विकास में ट्रेनिंग का अधिक महत्त्व है, अतः ट्रेनिंग से सम्बन्धित कार्य को 60% तथा परीक्षा (theoretical knowledge) को 40% के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है।

(क) उद्योग द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन– इसमें कार्यस्थल पर ट्रेनिंग, उद्योग में ट्रेनिंग, internship, apprenticeship, field work आदि कार्य कराए जा सकते है।

(ख) सम्बन्धित उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन– परीक्षा का कार्य सम्बन्धित उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा किए जाएगा जिसमें वे लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते है।

महाविद्यालय विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करके कौशल विकास उपरान्त मूल्यांकन हेतु परीक्षा आयोजित कर सकते है।

(iii) <u>व्यक्तित्व मूल्यांकन :–</u>

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर उच्च शिक्षण संस्थानों को ध्यान देना होगा तथा निम्न कार्यो के द्वारा व्यक्तित्व विकास तथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है:– भाषा (language) एवं सॉफ्ट स्किल (soft- skill), grooming, mock interview, social skill, राष्ट्रीय पर्वो एवं विशिष्ट दिवसों में प्रतिभागिता, आदि।

विद्यार्थियो द्वारा सांस्कृतिक, अकादमिक, रचनात्मक या सामाजिक क्षेत्रों में से किसी एक में अपनी रूचि अनुसार कार्य किया जा सकता है।

(iv) **<u>शारीरिक मूल्यांकनः–</u>**

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, इसलिए शारीरिक क्षमता विकसित करने की दिशा में समय समय पर इसका मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जा सकता है:– खेल गतिविधियां, योग, स्वास्थ्य परीक्षण (health checkups), मनोवैज्ञानिक क्षमता, आदि।

प्रवेश के समय विद्यार्थियों द्वारा किसी खेल का चयन किया जा सकता है तथा संस्थान द्वारा विभिन्न स्पर्धाओं के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जा सकता है।

(v) **<u>बहिर्मुखी मूल्यांकनः–</u>**

शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रकार की co-curricular एवं extra-curricular गतिविधियां लगातार संचालित होती रहती है, जिससे छात्र की प्रतिभा का पता लगता

है। शिक्षा संस्थानों को ऐसी सभी extra-curricular गतिविधियों का मूल्यांकन कर छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए और यदि संभव हो, तो इनके परिणाम को भी मार्कशीट में अंकित करने पर विचार किया जा सकता है।

(Vi) स्वमूल्यांकन :–

छात्रों का आत्मबल बढाने के लिए उन्हें स्व मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। यदि यह स्व–मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से स्व निर्देशात्मक सामाग्री (auto-instructional material) के अन्तर्गत हो सके, तो इसमें पारदर्शिता बनी रहेगी, और छात्र को भी अपने सही स्तर की जानकारी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जब छात्र कोई ई–कन्टेन्ट ऑनलाइन सामग्री पढ़ता है, तो उसके बाद उसे सम्बन्धित ई–कंटेन्ट के चार–पॉच प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी वह अगला ई–कंटेन्ट तथा चैप्टर पढ़ सकेगा, इसे पूर्व ज्ञान (prerequisite knowledge) की तरह भी देखा जा सकता है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2021–22 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ हो रहा है। मूल्यांकन के उपरोक्त पहलुओं को indicative (not exhaustive) मानते हुए अनुरोध है कि छात्र मूल्यांकन हेतु मानक, उनके वेटेज, उनके आकलन की प्रक्रिया आदि का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा अविलम्ब कर लिया जाय और छात्रों को समय से इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाय ताकि पारदर्शिता एवं एकरूपता बनी रहे।

भवदीया,

मोनिका एस0 गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–258 /सत्तर–3–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

मोनिका एस0 गर्ग
अपर मुख्य सचिव

अर्द्धशा0 पत्र संख्या– 231/सत्तर–4–2021
उच्च शिक्षा अनुभाग–4
लखनऊः दिनांकः 22 जनवरी, 2021

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत की परिकल्पना के अन्तर्गत भाषा की अनेकता में एकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा भाषाओं का उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Exellence for Languages) की स्थापना वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में किए जाने के साथ प्रदेश में निम्नलिखित 06 भाषा केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है:–

(i) उदय प्रताप कालेज, वाराणसी,
(ii) इलाहाबाद डिग्री कालेज, प्रयागराज,
(iii) सेण्ट जांस कालेज, आगरा,
(iv) बप्पा श्री नारायण वोकेशन पी0जी0 कॉलेज लखनऊ,
(v) हिन्दू कालेज, मुरादाबाद,
(vi) दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर।

2– उक्त भाषा केन्द्र विभिन्न भाषाओं में रोजगार–परक कार्यक्रम संचालित करेंगे:–

- सरकार में भाषा अधिकारी, भाषा अनुवादक, भाषा सहायक
- निजी टेलिविजन एवं रेडियो चैनलों और स्थापित पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में भाषा रूपान्तरक/अनुवादक, प्रूफ रीडर, समाचार वाचक/लेखक
- रेडियो/टेलिविजन/सिनेमा के लिये स्क्रिप्ट राइटर/संवाद लेखक/गीतकार/कवि
- प्रकाशन में अनुवादक, सम्पादक एवं कम्पोजर
- प्राकृतिक एवं कलात्मक रूप में सृजनात्मक लेखन

3– इस सम्बन्ध में निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा भारतीय भाषा केन्द्रों की स्थापना हेतु 06 भाषा केन्द्रों के व्ययभार सम्बन्धी प्रस्ताव पत्रांक–डिग्री विकास/भा0भा0प्र0प0प0/63–64/2020–21 दिनांक 18–01–2021 को भाषा अनुभाग–1 को प्रेषित किया गया है। निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित करते हुए यह अनुरोध है कि उक्त 06 भाषा केन्द्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट व्यवस्था कराते हुए इनके संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाते हुए यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
22/1
(मोनिका एस. गर्ग)

श्री जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
भाषा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2021

1. **कुलसचिव**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।
2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 20.04.2021 के संदर्भ में प्राप्त पृच्छाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई–मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट (http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx) पर अपलोड किया जा चुका है । स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठयक्रमों की सूची एवं जानकारी कालान्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट में वर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठयक्रम के अनुरुप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगें। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में संचालित मुख्य विषय के किसी पेपर का इलैक्टिव पेपर के रूप में अन्य पाठ्यकम (सिलेबस) का सुझाव विषय विशेषज्ञों से आमंत्रित है वे अपने सुझाव गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर दे सकते हैं।

2– शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:–

1. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम(Minimum Common Syllabus)

1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रुप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरुप रख सकते हैं।

1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने–कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएगे, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।

1.3 सूच्य है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70–80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढाये जा रहे हैं।

2. **क्षेत्र (Scope)-**

2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.)एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.)के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।

2.2 विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड., इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3. **परिभाषाएं–**

3.1 **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)**–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पॉच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि।

3.2 **संकाय (Faculty)-**

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.2.3 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 15–06–2021 के अनुसार होगी । भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.)की मिलेगी ।

3.3 **विषय (Subject)**-यथा

3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि ।

3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा ।

3.4 **कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-** यथा

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा ।

4. **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी**

सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी0ए0, बी0एस0सी0 आदि) व बी0कॉम0 में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.3 बी0ए0/बी0एस0सी0 ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.4 पी0एच0डी0कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी ।

Nikhil LLO SA

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है ।

5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं ।

5.5 माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।

5.6 माइनर इलैक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty)से लेना होगा । इसके लिये किसी भी pre-requisiteकी आवश्यकता नहीं होगी ।

5.7 बहुविषयक्ता (Multidisplinarity)सुनिश्चत करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा ।

5.8 **तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो ।**

5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलैक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा । विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पॉचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलैक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.12 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा । चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैक्लटी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होंगी।

5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (4 केडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगीं एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/ Skill development Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

7. **सह–विषय/कोर्स** **(Co-Curricular Courses)**

7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा ।

7.2 इन छः सह–विषयों के पाठ्यक्रम उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

7.3 हर सह–विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा । विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

8. **शोध परियोजना** **(Research Project)**

8.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी । विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृह्द शोध परियोजना करनी होगी । पी.जी. डी.आर में शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है । यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है ।

8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है ।

8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertaion) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

9. **क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण**

9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

9.2 प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

9.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है । इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट

अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है ।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा । उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46)क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है । इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner)कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।

9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल केडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत केडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।

9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल केडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट)प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन (B.L.Ed.)की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite)की आवश्यकता नहीं होगी।

9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit)कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है ।

10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

10.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे ।

10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time table)

11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरुप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का समयान्तर्गत सत्र 2021–22 से क्रियान्वयन किया जा सके।

11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य

संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होतीं हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय–सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।

3– विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि कृपया शासनादेश सं0 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 से "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठयक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरुप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।

संलग्नक–यथोक्त।

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1567 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

14. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ **Research Project**	**{Minimum Credits}** For the year	**{Cummulative Minimum Credits}** Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	OtherSubject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-CurricularCourse (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4)Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject

Note:Blue Colour: No. of papersRed colour: Credits Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses; Th-Theory, Pract-Practical

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या– 1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2021

1. **कुलसचिव**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।
2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 20.04.2021 के संदर्भ में प्राप्त पृच्छाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई–मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट (http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx) पर अपलोड किया जा चुका है । स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठयक्रमों की सूची एवं जानकारी कालान्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट में वर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठयक्रम के अनुरुप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगें। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में संचालित मुख्य विषय के किसी पेपर का इलैक्टिव पेपर के रूप में अन्य पाठ्यकम (सिलेबस) का सुझाव विषय विशेषज्ञों से आमंत्रित है वे अपने सुझाव गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर दे सकते हैं।

2– शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:–

1. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम(Minimum Common Syllabus)

1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रुप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरुप रख सकते हैं।

1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने–कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएगे, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।

1.3 सूच्य है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70–80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढाये जा रहे हैं।

2. **क्षेत्र (Scope)-**

2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.)एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.)के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।

2.2 विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड., इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3. **परिभाषाएं–**

3.1 **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)**–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पॉच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि।

3.2 **संकाय (Faculty)-**

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.2.3 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 15–06–2021 के अनुसार होगी । भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.)की मिलेगी ।

3.3 **विषय (Subject)**-यथा

3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि ।

3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा ।

3.4 **कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-** यथा

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा ।

4. **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी**

सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी0ए0, बी0एस0सी0 आदि) व बी0कॉम0 में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.3 बी0ए0/बी0एस0सी0 ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.4 पी0एच0डी0कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी ।

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है ।

5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं ।

5.5 माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।

5.6 माइनर इलैक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty)से लेना होगा । इसके लिये किसी भी pre-requisiteकी आवश्यकता नहीं होगी ।

5.7 बहुविषयक्ता (Multidisplinarity)सुनिश्चत करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा ।

5.8 **तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो ।**

5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलैक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा । विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पॉचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलैक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.12 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा । चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैक्लटी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होंगी।

5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (4 केडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगीं एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/ Skill development Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

Nikhil U.O. SA

7. **सह–विषय/कोर्स** **(Co-Curricular Courses)**

7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा ।

7.2 इन छः सह–विषयों के पाठ्यक्रम उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

7.3 हर सह–विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा । विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

8. **शोध परियोजना** **(Research Project)**

8.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी । विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृह्द शोध परियोजना करनी होगी । पी.जी. डी.आर में शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है । यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है ।

8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है ।

8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertaion) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

9. **क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण**

9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

9.2 प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

9.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है । इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट

अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है ।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा । उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46)क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है । इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner)कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।

9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल केडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत केडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।

9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल केडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट)प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन (B.L.Ed.)की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite)की आवश्यकता नहीं होगी।

9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit)कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है ।

10. <u>उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण</u>

10.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे ।

10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. <u>प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time table)</u>

11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरुप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का समयान्तर्गत सत्र 2021–22 से क्रियान्वयन किया जा सके।

11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य

संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होतीं हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय–सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।

3– विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि कृपया शासनादेश सं0 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 से "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठयक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरुप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।

संलग्नक–यथोक्त।

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1567 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

14. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ **Research Project**	**{Minimum Credits}** For the year	**{Cummulative Minimum Credits}** Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	OtherSubject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-CurricularCourse (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 (4) Research Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI						—	Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject

Note: **Blue Colour: No. of papersRed colour: Credits Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses; Th-Theory, Pract-Practical**

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1923/सत्तर–3–2020–08(35)/2020
लखनऊः दिनांकः 24 अगस्त, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कियान्वयन हेतु अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ''स्टीयरिंग कमेटी'' के गठन सम्बन्धी उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–1647/सत्तर–3–2020–08(35)/2020, दिनांक 14.08.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित नये सदस्यों को शामिल किया जाता है।

1.	प्रो0 मोनिका मेहरोत्रा, निदेशक बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य (उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.08.2020 के कमांक–2 पर अंकित डा0 ए0 के0 मित्तल के स्थान पर)
2.	श्री राज शरण शाही, एसोसिएट प्रोफेसर, बी0एड0 विभाग, दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
3.	प्रो0 हर्ष कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, रक्षा एवं स्त्रातिजिक अध्ययन विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
4.	डा0 के0ए0 पाण्डेय, एसोसिएट प्रोफेसर, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विष्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य

2– कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.08.2020 को उक्त सीमा तक संषोधित समझा जाय।

अब्दुल समद
विशेष सचिव।

संख्या–1923 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– सम्बन्धित नामित अधिकारीगण।
4– समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6– समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– समस्त अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

Nikhil U.O. SA

पत्रांक : सम्बद्धता/430
दिनांक : 04/5/2022

कार्यालय आदेश

मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 29.03.2022 की मद सं0 14 के सापेक्ष पारित संकल्पानुसार कौशल विकास पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय परिसर व सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के स्तर पर रू0 250/– प्रति सेमेस्टर (विना किसी वित्तीय लाभ–हानि) शुल्क के रूप में प्राप्त किये जाने तथा उक्त धनराशि को आय का स्रोत ना माने जाने का निर्णय पारित किया गया।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी प्रतिकुलपति कार्यालय, प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
3. आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. वित्त अधिकारी, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
6. सहा0 कुलसचिव, परिक्षा विभाग, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. प्रभारी, कमेटी सैल, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
9. प्रभारी, वैबसाईट, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

30-04-2022
कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1815 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2021**

विषयः–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम में कौशल विकास कार्यक्रमों तथा एन.सी.सी को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में मौलिक और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें। छात्रों में भारतीय होने का गर्व विचार में ही नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों के साथ–साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों तथा सोच में भी होना चाहिए। इसकी प्रतिपूर्ति पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी) को वैकल्पिक विषय पेपर के रुप में शामिल करने से हो सकती है। छात्रों में अनुशासन, देश–प्रेम की भावना विकसित करने के साथ–साथ "राष्ट्रीय केडेट कोर" उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में भी मदद करती है। देखा गया है कि कुछ योग्य विद्यार्थी इसे लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें इससे उनके अध्ययन प्रभावित होने का डर होता है । अतः निर्णय लिया गया है कि एन.सी.सी. को वैकल्पिक विषय / पेपर के रुप में पढ़ाने से इसकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों का अध्ययन भार भी कम होगा।

2– उक्त के आलोक में राष्ट्रीय केडेट कोर (एन.सी.सी) को आगामी सत्र से उ0प्र0 के सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में वैकल्पिक विषय (लघु Minor) / पेपर के रुप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। यह पेपर 12 क्रेडिट का होगा ।

3– उक्त वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य समिति का गठन किया गया है, जिसमें एन.सी.सी. निदेशालय, राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम समिति के प्रतिनिधि एवं ए.एन.ओ को सम्मिलित किया गया है। समिति शीघ्र ही एन.सी.सी.–वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम उपलब्ध करायेगी। विश्वविद्यालयों द्वारा एन.सी.सी.–वैकल्पिक विषय (लघु Minor) के लिये बनाई गई विद्वत सभा (BoS) में ए.डी.जी., एन.सी.सी. निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा एक ए.एन.ओ को भी रखा जायेगा।

Nikhil G.O.

4— आरम्भ में एन.सी.सी.—वैकल्पिक विषय (लघु Minor) सिर्फ एन.सी.सी. कैडेट के लिये ही उपलब्ध होगा, परन्तु कालांतर में संसाधनों के दृष्टिगत सभी छात्रों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा तद्नुसार पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जायेगा।

5— इस सम्बन्ध में उ0प्र0 के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021—22 लागू किये जाने विषयक शासन के पत्र संख्या—1065/सत्तर—3—2021—16(26)/2011, दिनांक 20.04.2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त के आलोक में राष्ट्रीय केडेट कोर (एन.सी.सी) को आगामी सत्र से पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय (लघु Minor)/पेपर के रुप में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीया,

9/8

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—1015 (1)/सत्तर—3—2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2— अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
3— मेजर जनरल राकेश राणा, अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, उ0प्र0।
4— ले0 कर्नल अशोक मोर, आई0आई0टी0, कानपुर उ0प्र0।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

Nikhil G.O.

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1969/सत्तर–3–2021
लखनऊ:: दिनांक 18 अगस्त, 2021

1– **कुलपति**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विभिन्न स्नातक छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने पर बल दिया गया है। तत्कम में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों के लिये रोजगार परक पाठ्यक्रमों की समुचित व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 एवं पत्र संख्या– 1567/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011टी.सी. दिनॉक 13–07–2021 के क्रम में रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू किये जाने हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं–

1. समझौता ज्ञापन (MoU)

1.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020 दिनांक 22.02.2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कालेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने अपेक्षित हैं।

1.2 संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठयक्रमों के लिये शिक्षण संस्थान निकटस्थ उद्योग, आई0टी0आई0, पॉलीटैक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से समन्वय करेंगे ।

1.3 सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठयक्रमों/प्रशिक्षण/इर्न्टरनशिप के लिये शिक्षण संस्थान सम्बंधित विभागों से समन्वय करगें ।

1.4 MoU करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान रखा जाये।

1.5 MoU में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप के दौरान नियमानुसार मानदेय के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

2. समय सारणी

प्रशिक्षण/इर्न्टरनशिप अवकाश के समय अथवा कालेज समय–सारणी के पश्चात करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

कालेज समय–सारणी में इन कोर्स को यथा सम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते है।

3. सीट निर्धारण

कालेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार किये जाये तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीट निर्धारण किया जाना उचित होगा।

4. परीक्षा

4.1 थ्योरी/समान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इन्र्टरनशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी ।

4.2 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इन्र्टरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं ।

4.3 Theory and Skill के अंक प्राप्त होने के पश्चात समयान्र्तगत कालेज द्वारा पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे।

4.4 विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका/डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा।

4.5 इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/कालेज एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रुप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं ।

5. पाठ्यक्रम

5.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयों/पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्धुत परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

5.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर/स्किल डेवलपमेन्ट काउसिंल आदि के सहयोग से यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0 आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा।

5.3 जिन ट्रेड में यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0/स्किल डवलपमेंट काउसिंल/शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, उनमें उन पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी उचित होगी ताकि छात्रों के प्लेसमेंट/इन्र्टनशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके ।

5.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्योरी एवं स्किल/ट्रेनिंग/इन्र्टरनशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम0ओ0यू0 की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कालेज प्रशासन करेगा ।

5.5 समान्य/थ्योरी पाठयक्रम का एक क्रेडिट–15 घंटो का तथा स्किल का एक क्रेडिट–30 घंटो का होगा अर्थात 3 क्रेडिट के पाठयक्रम में 15 घंट की थ्योरी (1 क्रेडिट) तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/इन्र्टरनशिप/लैब (2 क्रेडिट) होगी ।

6. पाठ्यक्रम का प्रकार

6.1 पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं–

6.1.2 Individual nature – एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम

6.1.3 Progressive nature – एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोडने पर वह पूर्ण हो सके।

6.2 विद्यार्थी अपनी पसंद एवं सुविधानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे ।

7. क्रेडिट

रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठयक्रम का चुनाव कर सकते है तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने स्तर पर कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीया

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1969 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Format for syllabus development of Skill development course

Title of course-	
Nodal Department of HEI to run course	
Broad Area/Sector-	
Sub Sector-	
Nature of course - Independent / Progressive	
Name of suggestive Sector Skill Council	
Aliened NSQF level	
Expected fees of the course –Free/Paid	
Stipend to student expected from industry	
Number of Seats-............	Credits- 03 (1 Theory, 2 Practical)
Course Code-.............	
Max Marks...100...... Minimum Marks.........	
Name of proposed skill Partner (Please specify, Name of industry, company etc for Practical /training/ internship/OJT	
Job prospects-Expected Fields of Occupation where student will be able to get job after completing this course in (Please specify name/type of industry, company etc.)	

Syllabus

Unit	Topics	General/ Skill component	Theory/ Practical/ OJT/ Internship/ Training	No of theory hours (Total-15 Hours=1 credit)	No of skill Hours (Total-60 Hours=2 credits)
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					

Suggested Readings:

Suggested Digital platforms/ web links for reading-

Suggested OJT/ Internship/ Training/ Skill partner

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Course Pre-requisites:

- No pre-requisite required, open to all
- To study this course, a student must have the subject .... in class/12th/ certificate/diploma
- If progressive, to study this course a student must have passed previous courses of this series.

Suggested equivalent online courses:

Any remarks/ suggestions:

Notes:

- Number of units in Theory/Practical may vary as per need
- Total credits/semester-3 (it can be more credits, but students will get only 3credit/ semester or 6credits/ year
- Credits for Theory =01 (Teaching Hours = 15)
- Credits for Internship/OJT/Training/Practical = 02 (Training Hours = 60)

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1969/सत्तर–3–2021
लखनऊ:: दिनांक 18 अगस्त, 2021

1– **कुलपति**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2– **निदेशक**,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विभिन्न स्नातक छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने पर बल दिया गया है। तत्क्रम में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों के लिये रोजगार परक पाठ्यक्रमों की समुचित व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 एवं पत्र संख्या– 1567/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011टी.सी. दिनॉक 13–07–2021 के क्रम में रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू किये जाने हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं–

1. समझौता ज्ञापन (MoU)

1.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020 दिनांक 22.02.2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कालेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने अपेक्षित हैं।

1.2 संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठयक्रमों के लिये शिक्षण संस्थान निकटस्थ उद्योग, आई0टी0आई0, पॉलीटैक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से समन्वय करेंगे ।

1.3 सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठयक्रमों/प्रशिक्षण/इर्न्टरनशिप के लिये शिक्षण संस्थान सम्बंधित विभागों से समन्वय करगें ।

1.4 MoU करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान रखा जाये।

1.5 MoU में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप के दौरान नियमानुसार मानदेय के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

2. समय सारणी

प्रशिक्षण/इर्न्टरनशिप अवकाश के समय अथवा कालेज समय–सारणी के पश्चात करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

कालेज समय–सारणी में इन कोर्स को यथा सम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते है।

3. सीट निर्धारण

कालेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार किये जाये तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीट निर्धारण किया जाना उचित होगा।

4. परीक्षा

4.1 थ्योरी / समान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालय / कालेज द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग / इन्र्टरनशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी ।

4.2 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग / इन्र्टरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन / ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं ।

4.3 Theory and Skill के अंक प्राप्त होने के पश्चात समयान्तर्गत कालेज द्वारा पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे।

4.4 विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका / डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा।

4.5 इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय / कालेज एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रुप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं ।

5. पाठ्यक्रम

5.1 विश्वविद्यालय / महाविद्यालय रोजगार परक विषयों / पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्धुत परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

5.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर / स्किल डेवलपमेन्ट काउसिंल आदि के सहयोग से यू0जी0सी0 / एन0एस0क्यू0एफ0 आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा।

5.3 जिन ट्रेड में यू0जी0सी0 / एन0एस0क्यू0एफ0 / स्किल डवलपमेंट काउसिंल / शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, उनमें उन पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी उचित होगी ताकि छात्रों के प्लेसमेंट / इन्र्टनशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके ।

5.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष / शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य / थ्योरी एवं स्किल / ट्रेनिंग / इन्र्टरनशिप / लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम0ओ0यू0 की व्यवस्था विश्वविद्यालय / कालेज प्रशासन करेगा ।

5.5 समान्य / थ्योरी पाठयक्रम का एक क्रेडिट–15 घंटो का तथा स्किल का एक क्रेडिट–30 घंटो का होगा अर्थात 3 क्रेडिट के पाठयक्रम में 15 घंट की थ्योरी (1 क्रेडिट) तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग / इन्र्टरनशिप / लैब (2 क्रेडिट) होगी ।

6. पाठ्यक्रम का प्रकार

6.1 पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं–

6.1.2 Individual nature – एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम

6.1.3 Progressive nature – एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोडने पर वह पूर्ण हो सके।

6.2 विद्यार्थी अपनी पसंद एवं सुविधानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे ।

7. क्रेडिट

रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठयक्रम का चुनाव कर सकते है तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने स्तर पर कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीया

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1969 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Format for syllabus development of Skill development course

Title of course-	
Nodal Department of HEI to run course	
Broad Area/Sector-	
Sub Sector-	
Nature of course - Independent / Progressive	
Name of suggestive Sector Skill Council	
Aliened NSQF level	
Expected fees of the course –Free/Paid	
Stipend to student expected from industry	
Number of Seats-............	Credits- 03 (1 Theory, 2 Practical)
Course Code-.............	
Max Marks…100…… Minimum Marks………	
Name of proposed skill Partner (Please specify, Name of industry, company etc for Practical /training/ internship/OJT	
Job prospects-Expected Fields of Occupation where student will be able to get job after completing this course in (Please specify name/type of industry, company etc.)	

Syllabus

Unit	Topics	General/ Skill component	Theory/ Practical/ OJT/ Internship/ Training	No of theory hours (Total-15 Hours=1 credit)	No of skill Hours (Total-60 Hours=2 credits)
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					

Suggested Readings:

Suggested Digital platforms/ web links for reading-

Suggested OJT/ Internship/ Training/ Skill partner

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Course Pre-requisites:

- No pre-requisite required, open to all
- To study this course, a student must have the subject .... in class/12th/ certificate/diploma
- If progressive, to study this course a student must have passed previous courses of this series.

Suggested equivalent online courses:

Any remarks/ suggestions:

Notes:

- Number of units in Theory/Practical may vary as per need
- Total credits/semester-3 (it can be more credits, but students will get only 3credit/ semester or 6credits/ year
- Credits for Theory =01 (Teaching Hours = 15)
- Credits for Internship/OJT/Training/Practical = 02 (Training Hours = 60)

Dated :- 17.09.2021

NOTICE

A meeting of following members shall take place on 20th Sept., 2021 at 11:30 AM in Conference Room of Administrative Committee for effective implementation of New Education Policy 2020 as directed by C.C.S. University for UG I Admission of Session 2021-22.

NEP Committee –

1. Dr. Rajendra Kumar, Convenor
2. Dr. Neeta Kaushik, Co-Convenor
3. Dr. H.O. Gupta
4. Dr. Parvind Kumar
5. Dr. Dharmendra Kumar

DEAN -

1. Dr. Harvir Singh Chaudhary, Dean
2. Dr. Mahesh Kumar, Dy., Dean
3. Dr. Neha, Dy. Dean

SPECIAL INVITEE –

1. Dr. Vinod Kumar, Vice-Principal
2. Dr. Praveen Kumar, Co-ordinator, IQAC

All the members are requested to ensure to attend the same so that necessary further actions may be finalized for UG I admission, Session 2021-22.

17/9/21

(Prof. Vakul Bansal)
Principal

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या– 5607 /सत्तर–3–2020–08(35)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 03 दिसम्बर, 2020

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिपेक्ष्य में प्रत्येक संस्थान द्वारा विद्यार्थियों की क्षमताओं की अभिवृद्धि के लिये आवश्यक नए पाठ्यक्रम को निर्धारित/क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव।

महोदय,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 मे उल्लिखित समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की क्षमताओं की अभिवृद्धि के लिये नए पाठ्यक्रमों को विकसित करना तथा विद्यार्थियों को नवीन/आधुनिक तकनीकी ज्ञान, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा, और मूल्य–आधारित शिक्षा को भी सम्मिलित करना समीचीन होगा। उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाने एवं भारतीय संस्कृति/दर्शन को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता के दृष्टिगत समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नवीन विषयों तथा आधुनिक तकनीकी ज्ञान पर आधारित विषयों को सम्मिलित किया जा सकता है।

2– इस परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जा सकता है :–

- **अनिवार्य पाठ्यक्रम :–**
  (1) मूल्य परक शिक्षा (नैतिक शिक्षा)
  (2) स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता
  (3) कम्प्यूटर/डिजिटल जागरूकता
  (4) कम्यूनिकेशन स्किल्स (संचार कौशल) एवं व्यक्तित्व विकास

- **ऐच्छिक माइनर पाठ्यक्रम** जैसे आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस, मीडिया अध्ययन, बिग डाटा एनालिसिसि, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लिबरल क्रिएटिव आर्ट, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, न्यूरो साइंस, 3–डी प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग, सांख्यिकी, पर्यावरण शिक्षा, व्यवहारिक विज्ञान, पुरातत्व कलाकृति संरक्षण, भारतीय विद्या/लोक विद्या, अनुवाद और विवेचना, संग्रहालय प्रशासन, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, भाषा सम्बन्धी शिक्षा, सामुदायिक सेवा परियोजना, फार्मेसी, कैटरिंग, मीडिया स्टडीज आदि।

Nikhil G.O

समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों को वर्तमान समय के अनुसार विद्यार्थियों को अपग्रेड करने हेतु प्रयास करने होंगे। 'डिजिटल इण्डिया' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। इसके अतिरिक्त, आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलुओं पर मिलकर एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। रोबोटिक्स, वर्चुअल रियल्टी, क्लाउड टेक्नॉलॉजी, बिग डेटा, मशीन लर्निंग आदि अन्य विषय वर्तमान समय की मांग हैं।

3– इसके अतिरिक्त, समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों को कौशल विकास, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा, और मूल्य–आधारित शिक्षा एवं आधुनिक कोर्सेस के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक सेमेस्टर में प्रायोगिक कार्य निर्धारित किये जाने चाहिए तथा सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों को इस प्रकार के कार्यों में यथासंभव संलग्न करना चाहिए।

4– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालयों में विशेष सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (CoEs) की स्थापना की जानी चाहिए, जिसके माध्यम से नए विषयों एवं व्यावसायिक विषयों के पाठ्यक्रम का विकास प्रयोगात्मक शिक्षण/अनुभव के आधार पर किया जा सके। हर संस्थान को प्रयास करना चाहिए कि वह किसी न किसी क्षेत्र में Peak of Excellence बन सके।

5– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय स्तर से विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में उपरोक्तानुसार क्रियान्वयन करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की आख्या शासन को मासिक रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–5607 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांक:

1– समस्त कुलपति राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन के संबंध में सभी संबंधित को मार्गदर्शन देते हुये उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

कार्यालय निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

पृ0सं0–डिग्री विकास/ 1119 / 2020–21 दिनांक 04/12/ 2020

प्रतिलिपि–समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय स्तर से विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में उपरोक्तानुसार क्रियान्वयन करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की आख्या निदेशालय को मासिक रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें।

डॉ0 (बी0 एल0 शर्मा)
सहायक निदेशक (उ0शि0),

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब०/361/2021
दिनांक 21/1/2021

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय

विषयः—राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के उद्देश्यों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये नैक मूल्याकंन को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 33 / सत्तर—3—2021—08(35) / 2021 दिनांक 05 जनवरी, 2021 के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 में गुणवत्तपूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये शिक्षा संस्थानों को समयान्तर्गत मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकांश अर्ह राजकीय / अनुदानित महाविद्यालयों या तो नैक कराया नही गया है अथवा उनका मूल्यांकन कालातीत हो गया है एक बार मूल्यांकन कराने के बाद समयान्तर्गत पुनमूल्यांकन न कराना उदासीन मानसिकता का दर्शाता है। अतः नैक मूल्यांकन के प्रति उदासीनता समाप्त करने के लिये नैक मूल्यांकन कराने वाले महाविद्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है जिससे अर्ह महाविद्यालयों के प्राचार्य / शिक्षक समयान्तर्गत नैक मूल्यांकन कराने के लिये सामूहिक रूप से आगे आये। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन ने नैक मूल्यांकित कराने के लिये विश्वविद्यालय स्तर से भी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिये निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के उद्देश्यों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये अपने महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः—शासन के पत्र की प्रति।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

1. सहायक कुलसचिव कुलपति सचिवालय, कुलपति जी को अवलोकनार्थ।
2. NAA/IQRAC कोआर्डिनेटर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्न पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अपने स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. एजेन्सी 2015—21 को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की लॉगिन एवं विश्वविद्यालय बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

Affisvlett

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 से लागू करने सम्बन्धी नियमावली

01. पाठयक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय–सारिणी :

1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं शासनादेशों के आधार पर तैयार यह नियमावली सत्र 2021–22 में स्नातक तीन विषयों वाले पाठयक्रमों बी0ए0, बी०एस–सी० एवं बी०कॉम0 में प्रवेशित विद्यार्थियों पर न्यूनतम समान पाठयक्रम एवं च्वाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम (CBCS) पर आधारित नवीन पाठयक्रम के साथ सेमेस्टर सिस्टम में लागू होगी तथा सत्र 2020–21 में अथवा इससे पूर्व में प्रवेशित स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में उपाधि प्राप्त होने तक यह नियमावली लागू नहीं होगी ।

1.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नाकोत्तर पाठयक्रमों/कार्यक्रमों में सी0वी0सी0एस0 आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नवीन पाठयक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगी।

1.3 बी०ए०, बी०एस–सी०, बी०कॉम० ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक पाठ्यक्रमों में सी०बी०सी०एस० आधारित नवीन सत्र 2022–23 से लागू होगी।

1.4 पी0एच0डी0 कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी।

1.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत की जा रही यह व्यवस्था चिकित्सा, कृषि, तकनीकी शिक्षा (बी०टेक०, एम०सी०ए०, आदि), विधि (बी0ए0 एल0एल0बी0, एलएलबी0, इत्यादि) एवं शिक्षक शिक्षा (बी0एड0, बी0पी0एड0) में उनकी नियामक संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं व्यवस्था तैयार करने तथा इनकी संस्तुति के बाद लागू की जायेगी।

2. कार्यक्रम एवं संकाय :

2.1 माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर में अभी संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्थायें पैतृक विश्वविद्यालय, चौ0 चरण सिंह, विश्वविद्यालय, मेरठ की परिनियमावली के अनुरूप ही चलेगी।

2.2 विद्यार्थी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का पूर्ण अनुपालन करने पर अपने संकाय में एक वर्ष में सर्टीफिकेट, दो वर्ष में डिप्लोमा, तीन वर्ष में स्नातक डिग्री, चार वर्ष में शोध सहित स्नातक डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री एन्टीग्रेटिड, छः वर्ष में पी०जी०डी०आर० तथा आठ वर्ष की पी0एच0डी0 की शोध प्रमाण–पत्र (Certificate) उपाधि मिलेगी यथा बीए0, बी०एस–सी० बी०कॉम०, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एल0ई0, एम०ए०, एम0एस–सी, एम०कॉम0, एल०एल०बी०, पी0एच0डी० इत्यादि ।

2.3 विद्यार्थियों को बहु विषयकता उपलब्ध कराने के लिए संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/ सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनांक 15–06–2021 के अनुसार होगी यथा

1. विज्ञान संकाय, 2. वाणिज्य संकाय, 3. भाषा संकाय, 4. कला संकाय, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, 5. ग्रामीण अध्ययन संकाय, 6. ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय 7. कृषि संकाय, 8. विधि संकाय, 9. शिक्षक शिक्षा संकाय, 10. प्रबन्धन संकाय, 11. वोकेशनल स्टडीज संकाय ।

नोट – भाषा संकाय, ग्रामीण अध्ययन संकाय, ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (बी0ए0) में दी जायेगी।

2.4 संकाय एक ही प्रवृति के विषयों को मिलाकर बनाया गया एक समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, विधि संकाय इत्यादि । विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जिस संकाय से दो विषयों का चयन करेगा यह उसके मुख्य विषय (Major Subjects) कहलायेंगे तथा यह विद्यार्थी की अपनी संकाय (Own Faculty) या निजी संकाय होगी ।

2.5 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा। एक विषय के विभिन्न थ्योरी/ प्रेक्टिकल के पेपरों को पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा एवं दोनों के कोड अलग–अलग होंगे।

3. प्रवेश प्रक्रिया :

3.1 विद्यार्थी स्नातक में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तथा डब्ल्यू0आर०एन० नम्बर अंकित किये हुये रजिस्ट्रेशन के प्रपत्र को विश्वविद्यालय के संस्थान/विभाग/ सम्बद्ध महाविद्यालय में उपलब्ध सीटो तथा संसाधनों के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे।

1

3.2 विद्यार्थी द्वारा चुनाव किये गये प्रथम दो मुख्य विषयों के आधार पर प्रदान की जाने वाली डिग्री यथा बी०ए०, बी०एस–सी० अथवा बी०कॉम0 में सीटों की उपलब्धता के आधार पर तथा विद्यार्थी के द्वारा आवश्यक न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा ।

3.3 प्रवेश हेतु अतिरिक्त अंको की व्यवस्था माँ शाकुम्भरी, विश्वविद्यालय सहारनपुर की प्रवेश समिति द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों के अनुसार होगी। प्रवेश समिति को प्रवेश के नियमों में माननीय कुलपति जी की अनुमति से परिवर्तन करने का अधिकार निहित होगा।

4. तीन मुख्य विषयों की चयन व्यवस्था :

4.1 विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध किसी एक संकाय कला, विज्ञान, एवं वाणिज्य संकाय में से चुनाव करना होगा, तत्पश्चात् उसे **उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा,** जिसका आवंटन मेरिट के आधार पर महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों की संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर करेगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसमे वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक अथवा पाँच वर्ष स्नातक व परास्नातक उपाधि तक अध्ययन कर सकेगा।

4.2 उपरोक्त दो मुख्य विषयों के उपरान्त विद्यार्थी एक और तीसरा मुख्य विषय का चुनाव करेगा जो उसके अपने संकाय (Own Faculty) अथवा दूसरे संकाय (Other Faculty) से ले सकता है। इस तरह **विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन स्नातक स्तर पर करना होगा,** जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होगें तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा प्रवेशित महाविद्यालय में उपलब्ध दूसरे संकाय से ले सकता है।

4.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उसके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

4.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी परन्तु वह एक वर्ष अथवा दो वर्ष के बाद विषम सेमेस्टर में ही विषय परिवर्तन कर सकता है प्रथम, तृतीय, एवं पंचम (विषम) सेमेस्टर के बाद नहीं।

5. माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव :

5.1 नयी शिक्षा नीति में बहु–विषयकता सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक माइनर इलेक्टिव पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव छात्र अपने संकाय के विषयों में से अथवा महाविद्यालय में दूसरे संकायों के उपलब्ध विषयों में से कर सकते हैं। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (Pre - Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलैक्टिव पेपर का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इसमें से कम से कम एक पेपर अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त महाविद्यालय में उपलब्ध किसी अन्य संकाय से हो **स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एक–एक माइनर पेपर का अध्ययन करना होगा।**

5.3 कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में महाविद्यालय में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.4 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव/आवंटन, संस्थान /महाविद्यालय में संचालित उपलब्ध विषयों के पेपर में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैक्लटी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।

5.5 माइनर इलेक्टिव पेपर के परीक्षा पाठयक्रम का स्तर मुख्य पेपर के स्तर से निम्न अथवा समान होगा।

5.6 माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा न कि पूर्ण विषय ।

5.7 एन0सी0सी0 एक लघु–वैकल्पिक विषय, (माईनर इलेक्टिव) के रूप में माना जायेगा।

5.7.1 **लघु–वैकल्पिक (Minor Elective)** पेपर के रूप में एन०सी०सी० को भी सम्मलित किया गया है। यह पेपर **12 क्रेडिट का होगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्षों (प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक) में पढ़ाया जायेगा** (शासनादेश संख्या1815/सत्तर–3–2021–16(26)/2021 दिनांक 09.08.2021)।

5.7.2. एन०सी०सी० लघु–वैकल्पिक पेपर प्रारम्भ में केवल एन० सी०सी० कैडेटों के लिये उपलब्ध होगा परन्तु कालांतर में संसाधन एवं आवश्यकताओं को पूर्ण कर सभी छात्रों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा तदनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन एवं अनुमोदन के उपरान्त लागू किया जायेगा।

5.8 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकायों के छात्रों के लिए माइनर इलैक्टिव पेपर (4 क्रेडिट का) तैयार करा सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज, विद्वत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदति कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगी एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होगी।

5.9 स्नाकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर एक माइनर इलैक्टिव का चुनाव अन्य संकाय में करना होगा।

6. कौशल विकास/रोजगारपरक (Skill Development/Vocational) पाठ्यक्रमों का संचालन एवं चुनाव किये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश :

रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र एवं छात्राओं को अध्ययन हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1969/सत्तर–3–2021 दिनांक 18–08–2021 के अनुपालन में निम्न व्यवस्था लागू होगी :

6.1. **<u>पाठ्यक्रम :</u>** विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयों/पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्वत परिषद एवं कार्यपरिषद से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

6.2. पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर/स्किल डेवलपमेन्ट कॉउंसिल आदि के सहयोग से यू0जी०सी०/एन०एस०क्यू0एफ0 (NSQF - National Skill Qualification Framework) आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा ताकि छात्रों के प्लेसमेन्ट /इंटर्नशिप में सुविधा मिल सके । जिन ट्रेड में यू0जी0सी0/एन०एस०क्यू0ए0फ0/ स्किल डेवलपमेन्ट कॉउंसिल/शासकीय विभाग के पाठयक्रम उपलब्ध है उनमे उन पाठयक्रमों को वरीयता दी जानी उचित होगी ताकि छात्रों के प्लेसमेंट/इंटर्नशिप में उनका सहयोग आसानी से लिया जा सकता है।

6.3. **<u>पाठ्यक्रम के प्रकार :</u>** पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं जिनका चुनाव विद्यार्थी अपनी पसन्द एवं महाविद्यालय में उपलब्धता के आधार पर सुविधानुसार पाठयक्रम का चुनाव कर सकेगा।

6.3.1 व्यक्तिगत प्रकृति (Individual nature) : एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम ।

6.3.2. प्रगतिशील प्रकृति (Progressive nature) : एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोडने पर भी वह पूर्ण हो सकेगा।

6.4. विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/सैद्धांतिक (Theory) एवं स्किल/ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम०ओ०यू० की व्यवस्था विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन करेगा ।

6.5 सामान्य/सैद्धांतिक (Theory) पाठ्यक्रम का एक केडिट–15 घंटो का तथा स्किल का एक क्रेडिट–30 घंटों का होगा अर्थात **3 क्रेडिट के पाठ्यक्रम में 15 घंटे की थ्योरी (1–क्रेडिट) तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/लैब (2 क्रेडिट) की होगी । प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (प्रथम चार सेमेस्टरों) के** प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम (3×4=12 क्रेडिट) अर्थात प्रति सेमेस्टर में एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational Skill Development Course) प्रथम चार सेमेस्टरों में पूर्ण करना होगा ।

6.6. रोजगार परक पाठयक्रम में विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठयक्रमों का चुनाव भी कर सकते हैं। तथा उन्हें अपने क्रेडिट बैंक में जमा कर सकते हैं। परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्षों में कुल 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा।

6.7. विद्यार्थी द्वारा रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम के चुनाव के समय महाविद्यालय में कार्यक्रम उपलब्ध न होने जैसी स्थिति में अपने प्रवेश के पश्चात **UGC-SWAYAM MOOCs** इत्यादि पोर्टल पर उपलब्ध रोजगारपरक ऑनलाइन पाठ्यक्रम चुन सकते है । विद्यार्थी इस रोजगारपरक पाठयक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात अर्जित किये गये सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा कराएगें जिससे यह उनके परीक्षा परिणाम में यथास्थान क्रेडिट बैंक में जोड़ा जा सके।

7. समझौता ज्ञापन (MoU) एवं सीट निर्धारण :

7.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) में निर्गत शासनादेश संख्या–602 /सत्तर–3–2021–08 (35)/2020 दिनांक 22–02–2021 के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किये जाने अपेक्षित है।

7.2 संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठयक्रमों के लिये शिक्षण संस्थान अपने निकटस्थ उद्योग, आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक, इजीनियरिंग कॉलेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमी, विशेषज्ञ व्यक्तियों एवं सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठ्यक्रमो /प्रशिक्षण/इंटर्नशिप के लिये विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय अपने स्तर से सम्बन्धित विभागों से MoU करके समन्वय करेंगे ।

7.3 समझौता ज्ञापन (MoU) करते समय विद्यार्थियों से सम्बन्धित वहां पर उपलब्ध सभी आवश्यक सुविधाओं एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए ।

7.4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने यहाँ संचालित पाठ्यक्रमों में विभिन्न संकायों के बीच अन्तः (Interdisaplinary) विषय समझौता ज्ञापन (MoU) कर सकते हैं।

7.5. **सीट निर्धारण :** कालेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न विभागो द्वारा विभिन्न स्किल पाठयक्रम तैयार किये जायेगें तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीटों का निर्धारण किया जायेगा।

8. रोजगार परक कोर्स की परीक्षा :

8.1 थ्योरी/सामान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्लाय/महाविद्यालय द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इंटर्नशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी।

8.2 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इंटर्नशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आकलन कर सकते हैं।

8.3 थ्योरी एवं स्किल के अंक प्राप्त होने के पश्चात महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेगें।

8.4 विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकों को अंकतालिका/डिग्री में रोजगार परक विषय का विवरण सहित अंकित किया जायेगा।

8.5 इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रूप से विद्यार्थी को अलग से भी इसका प्रमाण–पत्र (Certificate) जारी कर सकते हैं।

9. अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम विषय (Co-Curricular Courses) :

9.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों में छः सेमेस्टर्स तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम विषय लेना अनिवार्य होगा जोकि क्वालीफाइंग करना होगा। सतत आंतरिक मुल्यांकन एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा के प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी की ग्रेडशीट पर इनके प्राप्ताकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। सह– पाठ्यक्रम विषय के पेपर निम्नवत है :

9.1.1 **प्रथम सेमेस्टर :** भोजन पोषण और स्वच्छता (Food Nutrition and Hygiene) ।

9.1.2 **द्वितीय सेमेस्टर :** प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य (First Aid and Health) ।

9.1.3 **तृतीय सेमेस्टर :** मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Enviromental Studies) ।

9.1.4 **चतुर्थ सेमेस्टर :** शारीरिक शिक्षा और योग (Physical Education and Yoga) ।

9.1.5 **पंचम सेमेस्टर :** विश्लेषणात्मक योग्यता और डिजिटल जागरूकता (Analytic Ability and Digital Awareness) ।

9.1.6 संचार कौशल और व्यक्ति विकास (Communication Skill and Persomslity Development) ।

9.2 स्नातक स्तर के अनिवार्य सह–पाठ्यक्रमों के अध्ययन–अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनो की व्यवस्था विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर की जायेगी ।

नोट – अनिवार्य सह–पाठयचर्या *Co-Curricular* विषय को सारणी 1 में दिया गया अधिक जानकारी के लिये *uphed.gov.in* के लिंक पर जाकर भी विस्तृत पाठयक्रमों को डाउनलोड कर देख सकते हैं।

सारणी–1,: Compulsory Co-Curricular Courses in UG

Semester/ course code	Title of the course	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Priority of Faculty/ Department Assigned
I Z010101	भोजन पोषण और स्वच्छता Food Nutrition and Hygiene	Concept of Food and Nutrition	Nutrients Macro and Micro	1000 Days's Nutrition	Community Health Concept	Home Science, Physical Education
II Z020201	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थय First aid and Basic Health	Basic First Aid		Basic Sex Education	Mental Health and Physiological First Aid	Zoology, Life Science, Medical
III Z030301	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन Human Values and Environment Studies	Universal Human Values and Principles of Ethics	Decision Making	Basics of environment	Environment laws and Conversion	Sociology, Botany, History Enviroment Science
IV Z040401	शारीरिक शिक्षा एवं योग Physical Education and Yoga	Physical Education	Concept of Fitness, Wellness, Wieght Management and Lifestyle	Yoga & Meditation	Traditional Games of India and Recreation in Physical Education	Physical Education
V Z050501	विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजीटल जागरूकता Analytic Ability and Digital Awareness	Problems Solving & Decision Making	Analytical Ability & Logical Reasoning	Computer Basics, Use of MS WORD & EXCEl	Web Surfing Cyber security	Math, Statistics, Physics, Computer Science, English
VI Z060601	संचार कौशल और व्यक्तिव विकास Communication Skill and Personality Development	Personality & Personal Grooming	Interview Preparation & Group discussion	Body Language and behaviour	Art of Good Communicaton	Vocational studies, Management

10. शोध परियोजना (Research Project) :

10.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी0जी०डी0आर0 स्तर पर विद्यार्थी को पांचवे से ग्यारहवें सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थीयों को तीसरे वर्ष में एक लघु शोध परियोजना तक तथा पंचम में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी०जी०डी०आर० में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के अनुसार बाद में अलग से निर्धारित करेगा।

10.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गए अलग से तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना इंटरडिस्प्लनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क, इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

10.3 शोध परियोजना एक शिक्षक पर्यवेक्षक (Supervisor) के निर्देशन में की जाएगी। एक अन्य सहपर्यवेक्षक (Co-Supervisor) किसी उद्योग, कम्पनी, तकनीकी संस्थान, शोध संस्थान से लिया जा सकता है। विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertation) जमा करेगा, **जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंक में से किया जायेगा।**

10.4 **स्नातक स्तर** एवं पी०जी०डी०आर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधरित ग्रेड अंकतालिका में तो अंकित होगें, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

10.5 **स्नातक (शोध सहित)** एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी०जी०पी०ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा ।

11. कक्षाओं के संचालन हेतु समय–सारिणी :

11.1 सभी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time-Table) इस प्रकार तैयार करेंगें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हैं तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

11.2 महाविद्यालय संस्थान अपनी समय–सारणी में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्यौरी को अथवा शिक्षण कार्य को यथा सम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से पाठ्यक्रमों चयन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण इंटर्नशिप आदि को अवकाश के समय अथवा कॉलेज समय–सारिणी के पश्चात करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक पूरा दिन निर्धारित किया जा सकता है।

12. डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि/पाठ्यक्रम की उत्तीर्णता एवं आगामी सेमेस्टर में प्रवेश :

12.1 विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का पाठ्यक्रम संचरना (Course Module) अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 46 क्रेडिट के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले पाठ्यक्रम संचरना (Course Module) अर्थात Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यताधारित कर सकेगा ।

12.2 विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का पाठ्यक्रम संचरना (Course Module) अर्थात द्वितीय वर्ष, (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Cericficate in Faculty) को पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मलित रूप से 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा। इसके पश्चात ही विद्यार्थी अगले पाठ्यक्रम संचरना (Course Module) अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

12.3 विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty के पाठ्यक्रम संचरना (Course Module) अर्थात पांचवे एवं छठवें समेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी का यह पाठ्यक्रम संचरना (Course Module) आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, इसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले पाठ्यक्रम संचरना (Course Module) अर्थात् Bachelor (Research) in Faculy में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा। प्रथम चार सेमेस्टर में न्यूनतम 92 क्रेडिट के साथ पूर्ण करने पर ही डिप्लोमा मिलेगा तथा प्रथम छः सेमेस्टर में न्यूनतम 132 क्रेडिट के साथ पूर्ण करने पर Bachelor in Faculy की डिग्री प्रदान की जायेगी।

13. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण :

13.1 क्रेडिट के आधार पर शिक्षण कार्य : थ्यौरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण होगा ।

13.2 प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर ने दो घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। **शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्यौरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घण्टे के कार्यभार के बराबर होगा।**

13.3 क्रेडिटस का राज्य स्तर पर संरक्षण : क्रेडिट संबंधित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ABACUS-UP शासनादेश संख्या–1816/सत्तर–3–2021 दिनांक 09–08–2021 के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके दिशा–निर्देश शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अलग से जारी किए जाएंगे।

13.4 वर्षवार/मॉड्यूलवार पाठ्यक्रमों के नाम : विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इसके आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक अनुसंधान सहित डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यनूतम 248 क्रेडिट आर्जित करने पर स्नाकोत्तर अनुसंधान सहित (पी०जी०डी०आर०) की उपाधि ले सकता है (सारिणी–2) ।

13.5 क्रेडिट अर्जन तथा उपयोग के पश्चात रि–क्रेडिट की सुविधा : एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी इन क्रेडिट का उपयोग दुबारा नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके कुल क्रेडिट में से 46 क्रेडिट घट जायेगें जोकि उपयोग किये माने जायेगें। यदि यह कुछ वर्षो बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा कर 46 क्रेडिट खाते में रि–क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा । जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष वास्तविक तृतीय वर्ष में (92=46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोगा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी लागू होगी । यदि विद्यार्थी छः सेमेस्टर तक लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर स्नातक डिग्री ले सकता है।

13.6. योग्य विद्यार्थी (Fast Learmer) को सुविधा : यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast Learmer)/कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष की न्यूनतम आवश्यक समयावधि पूर्ण करने के बाद ही मिलेगी । लेकिन इस अतंराल के दौरान वह किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

13.7. संकाय अथवा विषय बदलने पर डिप्लोगा नहीं : विद्यार्थी द्वारा द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आएंगे न कि डिप्लोमा की श्रेणी में क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होगें।

13.8. छात्र को उसके अपने संकाय में डिग्री : तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

13.9. बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed) : यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा–112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके **बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed)** की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी । सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

सरणी : 2 नयी शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

Year	Semester	Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/Survey /Project	Minimum Credits For The year	Cummulative Minimum Credits Required for Award of Certificate/Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor/Elective	Minorr	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
		Own Faculty	Own Faculty	Own/Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vaocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	1(4/5/6)	1	1	--		(46) Certificaete in Faculty
	II	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)		1	1	--	46	
2	III	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	1(4/5/6)	1	1	--		(92) Diploma In Faculty
	IV	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)		1	1	--	46	
3	V	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)				1	1 (Qualifying)		(132) Bachelor in Faculty
	VI	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)				1	1 (Qualifying)	40	
4	VII	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (2)			1(4/5/6)			1 (4)		(184) Bachelor (Reserch) in Faculty
	VII	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (2)						1 (4)	52	
5	IX	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (2)						1 (4)		(232) Master in Faculty
	X	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (2)						1 (4)	48	
6	XI	2 (6)	1 Research (4) Methodology					1 (Qualifying)	16	(248) PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph.D Thesis		Ph.D. in Subject

Note : * = Qualifying Courses ; Th-Theory, Pract- Practical

13.10. परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रि–क्रेडिट वाले विद्यार्थियों को लाभ : यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टीफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Re-Credit) कर देता है और यह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह रि –क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

13.11. रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में क्रेडिट : रोजगारपरक पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात प्रतिवर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होगें । विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगारपरक पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते है तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा। रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रथम चार सेमेस्टरों में अनिवार्य रूप से लेना है अर्थात द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) के बाद पांचवे एवं छटें सेमेस्टर में रोजगारपरक पाठयक्रम नहीं लेना है।

14. उपस्थिति एवं परीक्षा व्यवस्था :

14.1 विद्यार्थी के लिए परीक्षा देने से पूर्व में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है।

14.2 किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिये निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल विद्यार्थी के लिये पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी । सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

14.3 सभी विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंकों के होगें जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायगा।

14.4 सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिये सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation : CIE) एवं 75 अंकों के लिये वाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही परीक्षा सम्पन्न की जायेगी। प्रत्येक विषय में 25 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन पाठयक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।

14.5 महाविद्यालय केन्द्रीकृत व्यवस्था या अन्य सुचितापूर्ण व्यवस्था के अनुरूप सतत् आंन्तारिक मूल्यांकन करायेगें। असाइनमेंट, क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं व अन्य रिर्पोटों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष बाद तक सुरक्षित रखा जायेगा । **सभी विषयों की लिखित विवरणात्मक परीक्षा होगी तथा अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगी।**

14.5 मुख्य विषय (मेजर), माइनर इलैक्टिव एवं अनिवार्य सह–पाठ्यक्रमों में निरंतर आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation, CIE) :

14.5.1 सभी थ्योरी/कोर्सेस/पेपरों में अधिकतम 25 अंकों का निरन्तर आन्तरिक मूल्यांकन किया जायेगा।
14.5.2 सभी मुख्य विषय (मेजर), माइनर इलैक्टिव एवं को–कुरीकुलर के पेपरों में पाठ्यक्रम तैयार करते समय बोर्ड ऑफ स्टीडज द्वारा निरंतर आन्तरिक मूल्यांकन की विधि को पाठ्यक्रम में देगें। अगर किसी पाठयक्रम/पेपर में आन्तरिक मूल्यांकन की विधि नहीं दी गयी है, तो वहाँ पर निम्नलिखित विधि को अपनायेगें –

प्रत्येक थ्योरी पेपर में **एक लिखित** आन्तरिक विवरणात्मक प्रकृति की अधिकतम 15 अंको की परीक्षा होगी। **दो क्लास टैस्ट** (Class Test)/असाइंमेन्ट (Assigment)/क्यूजस (Quizs)/प्रजेन्टेशन (Presentation)/स्माल प्रोजेक्ट (Small Project), इत्यादि (जोकि सम्बन्धित शिक्षक द्वारा विभागाध्यक्ष की सहमति से किया जायेगा), प्रत्येक 04 अंकों का होगा। एक अंक 76–85% उपस्थिति के लिए तथा दो अंक 86–100% उपस्थिति के लिये दिये जायेगें।

14.5.3 **प्रयोगात्मक पेपरों की परीक्षा में :** सम्बन्धित शिक्षक एक पारदर्शी तंत्र विकसित करेगा जोकि सभी पेपरों के लिए उपयुक्त होगी।

14.5.4 निरंतर आन्तरिक मूल्यांकन (CIE) में बैक पेपर (Back Paper) अथवा अंक सुधार (Improvement) की कोई व्यवस्था नहीं होगी। केवल छात्र द्वारा सम्पूर्ण सेमेस्टर परीक्षाओं में उपस्थित कम होने पर ही होगी (There will be no back paper or improvement of CIE, except for a student taking full semester exams again due to short attendance) ।

14.5.5 प्रत्येक छात्र को अधिकतम 100 अंकों में से लगातार आंतरिक मूल्यांकन (CIE) एवं विश्वविद्यालय परीक्षा (UE) दोनों को मिलाकर दिये जायेगें। लेकिन छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से उत्तीर्ण होने के लिये प्रत्येक पेपर में न्यूनतम पास होने के लिये 25 अंक आवश्यक होगें।

14.5.6 सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (CIE) पेपर को पढाने वाले प्राध्यापक/प्राध्यापकों द्वारा किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में उसके द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

14.5.7 पूर्व में ली गयी परीक्षा के अंक अगली आन्तरिक परीक्षा के अंकों से पहले घोषित कर दिये जायेगें। मूल्यांकन की गयी उत्तर पुस्तिका/क्वीज/प्रोजेक्ट एवं सम्बन्धित सामग्री को छात्रों को दिखायेगें। एवं वापिस लेकर अपनी निगरानी में सम्बन्धित शिक्षक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष बाद तक सुरक्षित रखेगें।

14.5.8 अध्यापक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य के द्वारा अधिकतम 25 अंकों के पूर्णांक में से प्राप्तांक को विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा करेगें। तथा इसकी हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में शीघ्र अति शीघ्र जमा करायेगें।

14.5.9 सतत आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी खर्चों का वहन सम्बन्धित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान स्वंय वहन करेगा।

14.10 **विश्वविद्यालय परीक्षा (University Examination = UE) :**

14.10.1 प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षायें करायी जायेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में सभी लिखित एवं प्रयोगात्मक कोर्स के मेजर/माइनर पेपरों की परीक्षाये अधिकतम 75 अंको की होगी। लिखित परीक्षा अवधि अधिकतम 3 घण्टे की होगी।

14.10.2 थ्योरी परीक्षा में विवरणात्मक प्रश्न पत्र तीन प्रकार के प्रश्न पुछे जायेगें निका विवरण जोकि नीचे दिया गया है :

Section	Types of Questions	Number of Question	Number of Quations to attempt	Each Question will carry maximum marks	Total marks of the section
A	Very Short Answer	5	5	3	15
B	Short Answer	3	2	7.5	15
C	Long Answer	5	3	15	45
Total		13	10	-----	75

14.10.3 रोजगार परक /वोकेशनल, को–कुरीकुलर आदि कोर्सों की परीक्षाओं के बारे में सम्बन्धित सैक्शन में दिया गया है।

14.10.4 पूर्व की भांति सभी प्रयोगात्मक परीक्षायें अधिकतम 75 अंकों की होगी।

14.10.5 विश्वविद्यालय परीक्षाओं के खर्चों का कार्य वर्तमान में चल रही व्यवस्था चौ0 चरण सिंह, विश्वविद्यालय, मेरठ के नियमों के अनुसार चलती रहेगी। भविष्य में इस व्यवस्था में माननीय कुलपति जी/कार्यपरिषद के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

14.10.6 प्रत्येक पेपर के अधिकतम अंक 100 होगें। इसमें से ही मेजर/माइनर/कोकुरीकुलर/रोजगारपरक कोर्सों में अंक दिये जायेगें जिससे सतत् आन्तरिक मूल्यांकन एवं विश्वविद्यालय परीक्षा के अंक संयुक्त होगें, लेकिन प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से पास होने के लिए न्यूनतम 25 अर्थात 33 प्रतिशत अंक आवश्वयक होगें।

14.6 **<u>रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की परीक्षा :</u>** रोजगारपरक पाठयक्रमों की थ्योरी/ सामान्य भाग की परीक्षा 1 क्रेडिट की विश्वविद्यालय से सम्बन्ध संस्थानों/महाविद्यालय द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप 2 क्रेडिट की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी।

10

14.7 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इंटर्नशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफ लाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं।

14.8 थ्योरी एवं स्किल पार्ट (Theory and Skill Part) के अंक प्राप्त होने के पश्चात समयान्तर्गत महाविद्यालय द्वारा ABACUS-UP पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका/डिग्री में उक्त रोजगारपरक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, महाविद्यालय एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रूप से विद्यार्थी को अलग से भी प्रमाण–पत्र जारी कर सकते हैं।

15. उपरोक्त शासनादेशों के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं तथा कृषि संकायों पर लागू होगी । तदनुक्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है :

15.1 स्नातक पाठ्यक्रम के **प्रथम वर्ष** के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय एक सहायक (माइनर), दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर **Certiificate in Faculty** प्रदान किया जायेगा। **द्वितीय वर्ष** तक 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक सहायक माइनर विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर **Diploma in Faculty** प्रदान किया जायेगा। **तृतीय वर्ष** तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठयक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर **Bechelor in Faculty** की उपाधि प्रदान की जायेगी। **चौथे वर्ष** तक 184 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक माइनर तथा दो प्रमुख वृहद शोध परियोजनायें सम्मलित होगीं। जिसे उर्त्तीण करने पर शोध सहित स्नातक **Bachelor (Research) in Faculty** की उपाधि प्रदान की जायेगी। **पांचवे वर्ष** तक 232 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय एवं दो प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं सम्मिलित होगी, जिसे उर्त्तीण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर **Master in Faculty** की उपाधि प्रदान की जायेगी। **छठे वर्ष** तक 248 संचति क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक अनुसंधान पद्धति एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होंगी, जिसे उत्तीर्ण करन के उपरान्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा शोध **(PGDR- Post Graduate Diploma in Research)** की उपाधि प्रदान की जायेगी।

15.2 प्राथमिकता के आधार पर **सातवें और आठवें वर्ष** में अन्यथा की स्थिति में उसके आगे के वर्षों में वृहद शोध परियोजना के आधार पर शोध प्रबन्ध (Research Thesis) जमा करना होगा, जिसके मूल्यांकन के उपरान्त सफल घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर पी0एच0डी० की उपाधि प्रदान की जायेगी ।

15.3 प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की व्यवस्था के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार होगा । महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लेंगे ।

15.4 स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल–विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा ।

16. NEP–2020 के अंतर्गत बी0ए0, बी0एस–सी० एवं बी0काम0 एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु ग्रेडिंग प्रणाली :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 से उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों में लागू की गई है। इस हेतु शासनादेश संख्या 1567/सत्तर–3 2021–16 (26)–2011 टी.सी. दिनांक 13 जुलाई 2021 के संदर्भ में सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था हो तथा विद्यार्थी का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ABACUS-UP के द्वारा स्थानांतरण किया जा सके। अतः स्टीयरिंग कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने की संस्तुति की गयी है, यह यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों पर आधारित है।

16.1 ग्रेडिंग प्रणाली के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या 1032/सत्तर–2022–08(35)/2020, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ, दिनांक 20.04.2022 को करते हुए 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली को मूल रूप में बिना किसी परिवर्तन के **माँ शाकुम्भरी, विश्वविद्यालय, सहारनपुर के** द्वारा अंगीकृत किया गया है। इसको सारणी 3 में नीचे दिया गया है।

सारणी–1 (Table-3) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अर्न्तगत स्नातक एवं परास्नात्तक पाठयक्रमों के लिए अंगीकृत 10 पांइट ग्रेडिंग प्रणाली

लेटर ग्रेड	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड पांइट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7
B	Above average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified	≥ 40 or above	-
NQ	Not Qualified	≤ 40 less than	-

16.2. उत्तीर्ण प्रतिशत :

16.2.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

16.2.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एंव प्रेक्टिकल सभी) Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 33 प्रतिशत ही होगा।

16.2.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (Co-Curricular Courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor research project) Qualifying हैं तथा इनके उत्तीर्णांक 40% होगें।

16.2.4 चार कौशल विकास कोर्स (Skill Development/Vocational Course) भी Credit Course है तथा इनके उत्तीर्णांक भी 40% ही होगें। शासनादेश संख्या 2058/सत्तर–3–2021–08(33) 2020 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल विकास/रोजगारपरक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा, जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल पर आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंको में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे । प्रशिक्षण/ ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग–अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे ।

16.2.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांको की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

16.2.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु **(अ)** विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा **(ब)** आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

16.2.7 सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु **(अ)** विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा **(ब)** आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

16.2.8 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

16.2.9 उत्तीर्ण होने के लिए किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेगे।

17. कक्षोन्नति (Promotion) :

17.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

17.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :

(अ) विद्यार्थी ने प्रथम वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हो तथा **(ब)** विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर) के Major विषयों (तीन मुख्य विषय प्रथम व द्वितीय वर्ष में तथा दो मुख्य विषय तृतीय वर्ष में) के सभी पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) के कुल क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हों। 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे, जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

17.3 द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक (Required) 46 क्रेडिट्स के सभी (मुख्य/माइनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying (सह–पाठ्यक्रम) पेपर्स को उतीर्ण करना आवश्यक होगा।

18. बैक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) परीक्षा :

18.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

18.2 विद्यार्थी को बैंक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) की सुविधा सम सेमेस्टर्स के लिए सम सेमेस्टर्स, में तथा विषम सेमेस्टर्स की विषम सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

18.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर उपक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है. में उपलब्ध होगा।

18.4 बैंक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिये कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक, चाहे कितनी भी बार दे सकता है। किन्तु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

19. काल अवधि :

स्नातक के किसी भी एक वर्ष (दो सेमेस्टरों) को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या :– (Explanation) यदि विद्यार्थी सतत् में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है, तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें, किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है, तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के लिए मिलेगें।

20. CGPA की गणना :

20.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जायेगी –

jth सेमेस्टर के लिये : SGPA (Sj) = Σ (Ci×Gi)/ Σ Ci	यहाँ पर Ci= number of credits of the ith course in jth semester. Gi = grade point scored by the student in the ith cource in jth semester.
CGPA = Σ (Cj×Sj)/ Σ Cj	यहाँ पर Sj = SGPA of the jth semester. Cj = Total number of credits in the jth semester.

20.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा।

समतुल्य प्रतिशत = CGPA × 9.5

20.3 विद्यार्थियों को सारणी–4 के अनुसार श्रेणी (Devision) प्रदान की जायेगी :

सारणी–4 (Table-4) : श्रेणी का CGPA के आधार पर निर्धारण

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

20.4 उदाहरणार्थ **SGPA** एवं **CGPA** का अगणन निम्नवत् किया जायेगा :

20.4.1 Calculation of SGPA

Subject	Course	Course type	Credit of paper	International Assessment Max Marks 25	External Examination Max Marks 75	Total Max. marks 100	Grade	Grade point	Grade Value
Physics	Course 1 (Th)	Major	4	12	46	58	**B**	6	24
	Course 1 (Pr)	Major	2	22	70	92	**O**	10	20
Maths	Course (Th)	Major	4	24	65	89	**A^+**	9	36
	Course (Pr)	Major	2	23	66	89	**A^+**	9	18
Economics	Course 1 (Th)	Major	6	16	61	77	**A^+**	8	48
History	Course 1	Major	4	21	60	81	**A^+**	9	36
Health & Hygiene	Co-Curricular Course	Co-Curricular	Qualifying	19	45	64	**Q**		
	Total		**22**						**182**
				Theory Evaluation Max Marks	**Training Evaluation Max Marks**				
Bee Keeping	Vocational course	**Skill**	**3**	**30**	**57**	**87**	**A^+**	**9**	**27**
	Grand Total		25						209

** Grade value = Grade point × credit

The Semester Grade Point Average (SGPA) = Total grade value/Total Credits = 207/25 = 8.28 [In a semester]

Note – Take only two digits after decimal all calculations.

Similarly :

- The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total grade value/Total credits [In all the semesters till now]

20.4.2 Calculation of CGPA

Semesters 1	Semesters 2	Semesters 3	Semesters 4
Credits : 25 SGPA : 8.28	Credits : 21 SGPA : 6.08	Credits : 25 SGPA : 8.90	Credits : 21 SGPA : 7.22

Thus, **CGPA** = (8.28 × 25 + 6.08 × 21 + 8.90 × 25 + 7.22 × 21)/92 = 708.80/92 = 7.70

Hence, **equivalent percentage** = (7.70 × 9.5) = **73.15**

And **Devision** will be **First**

प्राचार्य

(प्रो0 ओमकार सिंह)

प्राचार्य, गोचर महाविद्यालय, रामपुर मनिहारान, सहारनपुर

समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, माँ शाकुम्भरी, विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–308 /सत्तर–3–2021–16(26)/2011

प्रेषक,

अब्दुल समद
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2– **कुलसचिव**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **दिनांकः 25 जनवरी, 2021**

विषयः नई शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप अतिरिक्त विषयों के पाठयक्रम तैयार किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरुप निम्नलिखित स्नातक (Three subject pattern) विषयों (31) एवं अनिवार्य विषयों (6) के पाठयक्रम तैयार कर फीडबैक/सुझावों के लिये उच्च शिक्षा परिषद की बेवसाईट (http://uphed.gov.in/page/council/en/nep-2020) पर उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा शेष पाठ्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। अधोलिखित सूची में वर्णित विषयों के अतिरिक्त यदि आपके विश्वविद्यालय/सम्बंधित महाविद्यालयों में कोई अन्य विषय (Three subject pattern) संचालित हो रहा है तो उसकी तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर राज्य स्तरीय समिति को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय/सम्बंधित महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप न्यूनतम समान साझा पाठयक्रम 01 जुलाई 2021 से सफलतापूर्वक संचालित हो सके :–

विषय जिनके पाठयक्रम तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिये गये हैं	विषय जिनके पाठयक्रम तैयार किये जा रहे है ।
• ANTHROPOLOGY • DEFENSE AND STRATEGIC STUDIES, /DEFENSE STUDIES, • ECONOMICS , • EDUCATION, • FINE ARTS, • GEOGRAPHY, • HISTORY (ANCIENT INDIAN HISTORY, ARCHAEOLOGY AND CULTURE), • HISTORY (MODERN AND MEDIEVAL), • HOME SCIENCE, • LAW, • PHILOSOPHY, • PHYSICAL EDUCATION, • POLITICAL SCIENCE, • PSYCHOLOGY, • SOCIAL WORK • SOCIOLOGY	• ADVERTISING SALES PROMOTION AND SALES MANAGEMENT, • ARCHAEOLOGY & MUSEOLOGY, • ART, • DRAWING & PAINTING • EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION • FOREIGN TRADE, • HUMAN RIGHTS, • JOURNALISM, • LIBRARY & INFORMATION SCIENCE • LOK PRASASHAN, • MAHILA ADDHYAYAN, • MUSIC (SITAR), • MUSIC (TABLA), • MUSIC (VOCAL), • OFFICE MANAGEMENT AND SECRETARIAL PRACTICE, • PERFORMING ART, • VISUAL ART,

Aneeta Rai G.O. PC-1

• Urdu • English, • Hindi, • Sanskrit	• Arabic, • French, • German, • PUNJABI, • Russian, • SINDHI BHASHA • Tibbati,
• Agriculture, • Botany, • Chemistry, • Computer Science, • Geology • Mathematics, • Physics, • Statistics, • Zoology	• Biotechnology • Biochemistry • Computer Application, • Computer Science, • Genetics & Genomic • Electronics, • ENVIRONMENTAL SCIENCE, • Industrial Forestry • Industrial Microbiology • INFORMATION TECHNOLOGY • Industrial Chemistry • INSTRUMENTATION, • Microbiology • SEED TECHNOLOGY,
• B.Com	•
• B.Ed. (Teacher Education)	•
• Management	•

• Compulsory subjects
  • Food and Nutrition
  • Health and Hygiene
  • Physical Education
  • Human values and Environment Studies
  • Analytic Ability and Digital Awareness
  • Communication Skills and Personality Development	

2— उपरोक्त के साथ ही राज्य स्तरीय पाठयक्रम निर्माण समिति ऐन्कर्स द्वारा आपके विश्वविद्यालय / सम्बंधित महाविद्यालयों में संचालित किसी विषय के लिये यदि विषय विशेषज्ञों की मांग की जाती है तो कृपया उसकी सूची उन्हें तत्काल उपलब्ध कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Aneeta Rai G.O. PC-1

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या– 5240 /सत्तर–3–2020
लखनऊ : दिनॉक : 26 अक्टूबर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के विश्वविद्यालयों हेतु "न्यूनतम समान पाठ्यक्रम" (Commmon Minimum Syllabus) को उक्त नीति की अपेक्षाओं/यू0जी0सी0 की गाइडलाइन के अनुसार पुर्नः–संयोजित(Re-structure) करना आवश्यक है।

2– इस हेतु प्रदेश स्तर पर एक समिति गठित की जाती है जो सभी सम्बन्धित में सामन्जस्य बिठाते हुए एवं नियमित अनुश्रवण करते हुए सुनिश्चित करेगी कि न्यूनतम समान पाठ्यक्रम समयबद्व रूप में तैयार किया जाए। श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में "न्यूनतम समान पाठ्यक्रम" (Commmon Minimum syllabus) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें:–

- प्रो0 पूनम टण्डन, विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
- प्रो0 हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
- डा0 दिनेश चन्द्र शर्मा, एसो0 प्रोफेसर, कु0 मायावती राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर गौतमबुद्व नगर सदस्य होगें।

3– इसके अतिरिक्त संकायवार पाँच सुपरवाइजरी समितियों का गठन किया जाता है जो निम्नवत् हैः–

संकाय	समिति के सदस्यों के नाम/पदनाम एवं कार्यरत संस्था का नाम	विषय
कला एवं मानवता	• प्रो0 दिव्या नाथ, प्राचार्य, के0एम0राजकीय गर्ल्स पी0जी0 कालेज, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर। • प्रो0 अजय प्रताप सिंह, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, अयोध्या। • प्रो0 श्वेता पाण्डेय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी। • डा0 नीतू सिंह, एसो0 प्रोफेसर, एचएनबी राजकीय पीजी कालेज, नैनी, प्रयागराज। • डा0 किशोर कुमार, एसो0 प्रोफेसर, के0एम0राजकीय गर्ल्स पी0जी0 कालेज, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।	Anthropology, Defense and strategic Studies, Defense studies, Economics, Education, Fine arts, Geography, History (Ancient Indian History, archaeology and culture), History (Modern and medieval), Home Science, Law, Philosophy, Physical Education, Political Science, Psychology, Social Work, Sociology

विज्ञान	• डा0 संतोष सिंह, डीन, कृषि विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। • डा0 विजय कुमार सिंह, एसो0प्रोफेसर आगरा कालेज , आगरा। • डा0 बेबी तब्बुसम, एसो0 प्रोफेसर, रजा राजकीय पी0जी0 कालेज, रामपुर। • डा0 संजय जैन, एसो0 प्रोफेसर, सेन्ट जॉन कालेज, आगरा	Agriculture, Botany, Chemistry, Computer Science, Geology (B.Sc.), Mathematics, Physics, Statistics, Zoology
भाषा	• प्रो0 अनिता रानी राठौर, प्राचार्य, राजकीय डिग्री कालेज, गबहान, अलीगढ़। • प्रो0 रमेश प्रसाद, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। • डा0 पुनीत बिसारिया, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी। • डा0 दीप्ती बाजपेई, एसो0प्रोफेसर, के0एम0 राजकीय गर्ल्स पी0जी0 कालेज, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।	English, Hindi, Sanskrit, Urdu
कामर्स	• डा0 दीपक बाबू, डीन कामर्स, सिद्वार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्वार्थनगर। • डा0 संजीव शर्मा, एसो0 प्रोफेसर, महात्मा गोधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। • डा0 एस0के0एस0 यादव, एसो0 प्रोफेसर, मेरठ कालेज, मेरठ। • डा0 अरविन्द यादव, असि0प्रोफेसर, के0एम0 राजकीय गर्ल्स पी0जी0 कालेज, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।	Commerce
प्रबंध	• प्रो0 निशांत, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। • प्रो0 पूनम पुरी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी। • प्रो0 मानस दुबे, वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर। • प्रो0 सुधांशु पांडिया, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।	Management

सुपरवाइजरी समिति सर्वप्रथम प्रो0 सुरेन्द्र दुबे समिति द्वारा संस्तुत किये गये विषयों के पाठयक्रमों को पुर्नः–संयोजित (Re-structure) करेगी एवं साथ ही प्रदेश में संचालित अन्य विषयों एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों को तैयार कराने का कार्य करेगी।

प्रत्येक सुपरवाइजरी समिति अपने संकाय (Stream) के हर विषय का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय विषय विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी और उसकी मानीटरिंग एवं हैण्ड होल्डिंग/मार्गदर्शन करते हुए समयबद्व रूप से पाठयक्रम तैयार करवाना सुनिश्चित करेगी।

डिजिटल लाइब्रेरी हेतु जिन शिक्षकों ने विषय विशेष के नोडल के रूप में कार्य किया है, उनकी सूची सुपरवाइजरी समिति के उपयोगार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

4— उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया यह प्रयास किया जाय कि प्रो0 सुरेन्द्र दुबे समिति द्वारा संस्तुत किए गए विषयों के पाठ्यक्रम माह नवम्बर, 2020 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के अनुसार तैयार कर लिए जाएं तथा शेष विषयों के पाठ्यक्रम दिनांक 15 जनवरी, 2021 तक तैयार हो जाए।

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या— 5240 (1)/सत्तर—3—2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक उच्च शिक्षा उ0प्र0, प्रयागराज।
4. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
5. सम्बन्धित अधिकारी / शिक्षकगण।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः 20 अप्रैल, 2021**

विषय– उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठयक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समान पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप पुनर्संयोजित करने के लिये शासनादेश संख्या 5240/सत्तर–3–2020 दिनॉक 26–10–2020 द्वारा राज्य स्तरीय समिति तथा संकायवार सुपरवाइजरी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही विषयवार विशेषज्ञ समूहों का भी गठन किया गया। पाठ्यकमों को पुनर्संयोजित करने के लिये लगभग 150 विषय विशेषज्ञों के द्वारा राज्य स्तरीय समिति एवं राज्य संकायवार सुपरवाइजरी समितियों के साथ 200 से अधिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से चर्चा कर तैयार न्यूनतम समान पाठयक्रम को प्रदेश में स्टेकहोल्डरर्स से सुझाव प्राप्त करने के लिये राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया ।

तद्क्रम में कुल 416 फीडबैक प्राप्त हुए, जिसमें से 27 प्रतिशत फीड बैक को विषय विशेषज्ञों द्वारा समिति में चर्चा करने के पश्चात आवश्यकतानुसार पाठयक्रमों में सम्मलित किया गया । फीडबैक के अनुसार संशोधन करने के पश्चात प्रथम फेज में स्नातक कला एवं मानविकी (16 विषय), भाषा (4 विषय), विज्ञान (9 विषय), बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0आई0एस0 तथा अनिवार्य को–करीकुलर (6 विषय) के निम्नलिखित विषयों के न्यूनतम समान पाठयक्रम वेबसाईट (http://uphed.gov.in/page/council /en/nep-2020) पर अपलोड कर दिये गये हैं तथा शेष विषयों तथा स्नातकोत्तर के अंतिम रुप से तैयार पाठयक्रम भी वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे ।

कला एवं मानविकी विषय	विज्ञान विषय	भाषा विषय	अनिवार्य को–करीकुलर विषय	अन्य संकाय
एंथ्रोपोलोजी	कृषि	संस्कृत	खाद्य, पोषण एंव स्वच्छता	बी0कॉम
रक्षा एवं संराचनात्मक अध्ययन	वनस्पति विज्ञान	हिन्दी	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	बी0एड0
अर्थशास्त्र	रसायन शास्त्र	अंग्रेजी	शारीरिक शिक्षा एवं योग	बी0बी0ए0
शिक्षाशास्त्र	कम्पूयटर विज्ञान	उर्दू	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन	बी0एल0आई0एस0
ललित कला	भूगर्भ शास्त्र		विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनैस	
भूगोल	गणित		संचार कौशल एवं व्यक्तितव विकास	

Nikhil G.O.

इतिहास (प्राचीन)	भौतिक विज्ञान			
इतिहास(आधुनिक)	संख्यिकी			
गृह विज्ञान	जन्तु विज्ञान			
विधि				
दर्शनशास्त्र				
शारीरिक शिक्षा				
राजनीति शास्त्र				
मनोविज्ञान				
समाजशास्त्र				
समाजिक कार्य				

3— शासनादेश संख्या—438/सत्तर—3—2021(16)26/2011 दिनॉक 08—02—2021 के द्वारा पूर्व में नये पाठयक्रम की विशेषतायें, संरचना का आधार, सी0बी0सी0एस0, क्रेडिट, क्रेडिट स्थानंतरण, अनिवार्य को—करीकुलर एंव विषय चुनाव एंव उन्हें लागू करने के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4— अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के अनुरुप तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठयक्रम को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.05.2021 तक विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा निम्नलिखित दिशा—निर्देशों/प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के पाठयक्रमों में आवश्यक संशोधन कर उसे शैक्षिक सत्र 2021—22 से लागू करने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें, जिससे शैक्षिक सत्र 2021—22 से प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 का क्रियान्वयन किया जा सके:—

- न्यूनतम समान पाठयक्रम का 70 प्रतिशत पाठयक्रम प्रत्येक विश्वविद्यालय में लागू होगा, शेष 30 प्रतिशत पाठ्क्रम विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं के अनुरुप लागू कर सकेंगे । न्यूनतम समान पाठयक्रम की संरचना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा ।
- प्रत्येक विषय के पेपर के शीर्षक सभी विश्वविद्यालयों में समान होंगे जिससे भविष्य में आसानी से प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के क्रेडिट स्थानांतरित हो सकें।
- विश्वविद्यालयों की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा स्वीकृत पाठयक्रम की प्रति उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।
- उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर शेष पाठयक्रम भी समय—समय पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिनको भी उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज के द्वारा अधिकतम 30 प्रतिशत तक आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन के पश्चात अनुमोदन कर परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा ।

विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया—

- सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (Science/Arts/ Commerce/ Management etc) का चुनाव करेगा ।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीट एवं नियमों के आधार पर विद्यार्थी को संबधित संकाय में प्रवेश देगा ।
- तत्पश्चात विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Major) का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है ।
- इसके बाद विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु एक माइनर विषय किसी दूसरे संकाय से लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार परक पाठयक्रम लेना होगा।

किसी भी पाठयक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया–

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास (Exit) तथा दो वर्ष (चार सैमस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी ।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी ।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा ।
- Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी ।

डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि–

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तद्नुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी ।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें–

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट आनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड सकेंगे । यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार आनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे ।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।
- यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी । अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।
- विद्यार्थी को कोर्स आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स का अध्ययन कर सकेंगे।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा । एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा ।

परीक्षा व्यवस्था –

- सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एंव फार्मूला के अनुसार परसेंन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा ।
- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सत्त आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी ।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय (MCQ) आधार पर होगी ।

5– अग्रेतर यह अवगत कराना है कि उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी।

6– स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के 46 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो

सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र (Certificate) प्रदान किया जा सकता है।

द्वितीय वर्ष के 92 क्रेडिट होंगे, जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) प्रदान किया जा सकता है।

तृतीय वर्ष के 138 क्रेडिट होंगे जिसमें दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम/एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) प्रदान की जायेगी।

चौथे वर्ष के 194 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree with Research) प्रदान की जायेगी।

पांचवें वर्ष के 246 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री (Master's Degree) प्रदान की जायेगी।

छठे वर्ष के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research (PGDR) प्रदान किया जा सकता है।

सातवें और आठवें वर्ष में अनुसंधान पद्धति तथा प्रमुख विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त पी–एच0डी0 (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

7– प्रत्येक विषय के प्रमुख कोर पाठ्यक्रमों के लिए सामान्यतः न्यूनतम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम उपरोक्तानुसार लागू किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रत्येक सेमेस्टर के समान पेपर शीर्षक होंगे। यूनिफॉर्म क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8– पहले दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020, दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है।

9– अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर समयबद्ध रूप से कार्य करते हुए 30 जून, 2021 तक इन्हें पूर्ण कर लिया जाये, साथ ही एम0एस0एम0ई0, आई0टी0आई0 और पॉलीटेक्निक के साथ एम0ओ0यू0 किये जाये ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी योजना तैयार कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

20/4

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1065 (1)/सत्तर–3–2021–तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Nikhil G.O.

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्या–1065 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति,**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः 20 अप्रैल, 2021**

विषय– उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठयक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समान पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप पुनर्संयोजित करने के लिये शासनादेश संख्या 5240 / सत्तर–3–2020 दिनॉक 26–10–2020 द्वारा राज्य स्तरीय समिति तथा संकायवार सुपरवाइजरी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही विषयवार विशेषज्ञ समूहों का भी गठन किया गया। पाठ्यकमों को पुनर्संयोजित करने के लिये लगभग 150 विषय विशेषज्ञों के द्वारा राज्य स्तरीय समिति एवं राज्य संकायवार सुपरवाइजरी समितियों के साथ 200 से अधिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से चर्चा कर तैयार न्यूनतम समान पाठयक्रम को प्रदेश में स्टेकहोल्डरर्स से सुझाव प्राप्त करने के लिये राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया ।

तद्क्रम में कुल 416 फीडबैक प्राप्त हुए, जिसमें से 27 प्रतिशत फीड बैक को विषय विशेषज्ञों द्वारा समिति में चर्चा करने के पश्चात आवश्यकतानुसार पाठयक्रमों में सम्मलित किया गया । फीडबैक के अनुसार संशोधन करने के पश्चात प्रथम फेज में स्नातक कला एवं मानविकी (16 विषय), भाषा (4 विषय), विज्ञान (9 विषय), बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0आई0एस0 तथा अनिवार्य को–करीकुलर (6 विषय) के निम्नलिखित विषयों के न्यूनतम समान पाठयक्रम वेबसाईट (http://uphed.gov.in/page/council /en/nep-2020) पर अपलोड कर दिये गये हैं तथा शेष विषयों तथा स्नातकोत्तर के अंतिम रुप से तैयार पाठयक्रम भी वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे ।

कला एवं मानविकी विषय	विज्ञान विषय	भाषा विषय	अनिवार्य को–करीकुलर विषय	अन्य संकाय
एंथ्रोपोलोजी	कृषि	संस्कृत	खाद्य, पोषण एंव स्वच्छता	बी0कॉम
रक्षा एवं संराचनात्मक अध्ययन	वनस्पति विज्ञान	हिन्दी	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	बी0एड0
अर्थशास्त्र	रसायन शास्त्र	अंग्रेजी	शारीरिक शिक्षा एवं योग	बी0बी0ए0
शिक्षाशास्त्र	कम्पूयटर विज्ञान	उर्दू	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन	बी0एल0आई0एस0
ललित कला	भूगर्भ शास्त्र		विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनैस	
भूगोल	गणित		संचार कौशल एवं व्यक्तितव विकास	

Nikhil G.O.

इतिहास (प्राचीन)	भौतिक विज्ञान			
इतिहास(आधुनिक)	संख्यिकी			
गृह विज्ञान	जन्तु विज्ञान			
विधि				
दर्शनशास्त्र				
शारीरिक शिक्षा				
राजनीति शास्त्र				
मनोविज्ञान				
समाजशास्त्र				
समाजिक कार्य				

3– शासनादेश संख्या–438/सत्तर–3–2021(16)26/2011 दिनॉक 08–02–2021 के द्वारा पूर्व में नये पाठयक्रम की विशेषतायें, संरचना का आधार, सी0बी0सी0एस0, क्रेडिट, क्रेडिट स्थानंतरण, अनिवार्य को–करीकुलर एंव विषय चुनाव एंव उन्हें लागू करने के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4– अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठयक्रम को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.05.2021 तक विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देशों/प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के पाठयक्रमों में आवश्यक संशोधन कर उसे शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू करने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें, जिससे शैक्षिक सत्र 2021–22 से प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन किया जा सके:–

- न्यूनतम समान पाठयक्रम का 70 प्रतिशत पाठयक्रम प्रत्येक विश्वविद्यालय में लागू होगा, शेष 30 प्रतिशत पाठ्क्रम विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं के अनुरुप लागू कर सकेंगे । न्यूनतम समान पाठयक्रम की संरचना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा ।
- प्रत्येक विषय के पेपर के शीर्षक सभी विश्वविद्यालयों में समान होंगे जिससे भविष्य में आसानी से प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के क्रेडिट स्थानांतरित हो सकें।
- विश्वविद्यालयों की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा स्वीकृत पाठयक्रम की प्रति उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।
- उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर शेष पाठयक्रम भी समय–समय पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिनको भी उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज के द्वारा अधिकतम 30 प्रतिशत तक आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन के पश्चात अनुमोदन कर परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा ।

विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया–

- सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (Science/Arts/ Commerce/ Management etc) का चुनाव करेगा ।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीट एवं नियमों के आधार पर विद्यार्थी को संबधित संकाय में प्रवेश देगा ।
- तत्पश्चात विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Major) का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है ।
- इसके बाद विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु एक माइनर विषय किसी दूसरे संकाय से लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार परक पाठयक्रम लेना होगा।

किसी भी पाठयक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया–

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास (Exit) तथा दो वर्ष (चार सैमस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी ।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी ।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा ।
- Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी ।

डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि–

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तद्नुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी ।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें–

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट आनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड सकेंगे । यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार आनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे ।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।
- यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी । अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।
- विद्यार्थी को कोर्स आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स का अध्ययन कर सकेंगे।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा । एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा ।

परीक्षा व्यवस्था –

- सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एंव फार्मूला के अनुसार परसेंन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा ।
- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सत्त आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी ।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय (MCQ) आधार पर होगी ।

5– अग्रेतर यह अवगत कराना है कि उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी।

6– स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के 46 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो

सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र (Certificate) प्रदान किया जा सकता है।

द्वितीय वर्ष के 92 क्रेडिट होंगे, जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) प्रदान किया जा सकता है।

तृतीय वर्ष के 138 क्रेडिट होंगे जिसमें दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम/एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) प्रदान की जायेगी।

चौथे वर्ष के 194 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree with Research) प्रदान की जायेगी।

पांचवें वर्ष के 246 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री (Master's Degree) प्रदान की जायेगी।

छठे वर्ष के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research (PGDR) प्रदान किया जा सकता है।

सातवें और आठवें वर्ष में अनुसंधान पद्धति तथा प्रमुख विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त पी–एच0डी0 (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

7– प्रत्येक विषय के प्रमुख कोर पाठ्यक्रमों के लिए सामान्यतः न्यूनतम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम उपरोक्तानुसार लागू किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रत्येक सेमेस्टर के समान पेपर शीर्षक होंगे। यूनिफॉर्म क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8– पहले दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020, दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है।

9– अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर समयबद्ध रूप से कार्य करते हुए 30 जून, 2021 तक इन्हें पूर्ण कर लिया जाये, साथ ही एम0एस0एम0ई0, आई0टी0आई0 और पॉलीटेक्निक के साथ एम0ओ0यू0 किये जाये ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी योजना तैयार कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

20/4

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1065 (1)/सत्तर–3–2021–तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Nikhil G.O.